

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 नवम्बर 2021—कार्तिक 28, शक 1943

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2021

क्र. एफ-1(ए)176-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन, रीवा को दिनांक 6 से 20 नवम्बर 2021 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेन्ज, रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)193-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (अनु. एवं वि.) पु. मु., भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2021 में दिनांक 29 अक्टूबर एवं 1-2 नवम्बर 2021 तक, कुल तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 03 नवम्बर 2021 के ऐच्छिक अवकाश व दिनांक 30-31 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित गृह नगर चण्डीगढ़ (पंजाब) जाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:—

|                        |   |       |
|------------------------|---|-------|
| 1. श्री बी. बी. शर्मा  | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती कांता शर्मा | — | पत्नी |
| 3. श्री ईशान शर्मा     | — | पुत्र |

(2) अवकाश अवधि में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, का चालू कार्य श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (पुलिस मैनुअल) पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (अनु. एवं वि.) पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)195-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री विजय कटारिया, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (कल्याण) पु. मु., भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2021 में दिनांक 15 से 18 नवम्बर 2021 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 व 19, 20 व 21 नवम्बर 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित अण्डमान-निकोबार की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.

|                           |   |       |
|---------------------------|---|-------|
| 1. श्री विजय कटारिया      | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती संगीता कटारिया | — | पत्नी |
| 3. दीपान्शु कटारिया       | — | पुत्र |

(2) अवकाश अवधि में श्री विजय कटारिया, भापुसे, का चालू कार्य श्री संजीव शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (चयन एवं भर्ती), पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कटारिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (कल्याण) पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विजय कटारिया, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारिया, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2021

क्र. एफ-1(ए)31-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री कुमार सौरभ, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक (चयन एवं भर्ती) पु. मु. भोपाल को दिनांक 1 से 10 नवम्बर 2021 तक दस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री कुमार सौरभ, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य सुश्री चैत्रा एन. भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, (शिकायत) पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कुमार सौरभ, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (चयन एवं भर्ती), पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कुमार सौरभ, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री कुमार सौरभ, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार सौरभ, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)68-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल

(मध्यक्षेत्र), पु. मु., भोपाल को दिनांक 25 अक्टूबर से 12 नवम्बर 2021 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23-24 अक्टूबर 2021 व दिनांक 13-14 नवम्बर 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री तरूण नायक, भापुसे, सेनानी, सातवीं वाहिनी, विसबल, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल (मध्यक्षेत्र), पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)393-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (को-आपरेटिव फ़ाड/लोसेगा), पु. मु. भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2021 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 19, 25 व 26 दिसम्बर 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले गृह नगर भुवनेश्वर (उड़िसा) जाने की अनुमति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक (को-आपरेटिव फ़ाड/लोसेगा), पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2021

पंजी क्र. 4117-2021-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर सेक्रेटरी जनरल के पद पर पदस्थ श्री संजीव सुधाकर कालगांवकर का स्थानांतरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

## ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2021

क्र. एफ 3-26-2021-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 85 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के सदस्य (विधि) के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन करता है:—

- |                                 |   |         |
|---------------------------------|---|---------|
| (क) जस्टिस व्ही. पी. एस. चौहान, | — | अध्यक्ष |
| माननीय उच्च न्यायालय के         |   |         |
| सेवानिवृत्त न्यायाधीश.          |   |         |
| (ख) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन | — | सदस्य   |
| (ग) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत् | — | सदस्य   |
| प्राधिकरण.                      |   |         |

(2) उपरोक्त चयन समिति विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 85(4) में निहित प्रावधानानुसार सदस्य (विधि) के पद पर नियुक्ति हेतु दो नामों के पैनल की अनुशांसा प्रस्तुत करेगी.

संजय दुबे, प्रमुख सचिव.

## महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2021

क्र. 4393-771-2021-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88 (10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:—

### अनुसूची

| अ.क्र.<br>(1) | जिले का नाम<br>(2) | सदस्य का नाम<br>(3)                                 |                |
|---------------|--------------------|---|----------------|
| 1             | खण्डवा             | 1. श्री पन्ना लाल गुप्ता<br>2. श्री विजय कुमार राठी | सदस्य<br>सदस्य |

No. 4393-771-2021-L-2.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 [read along with Rule 88 (10) of JJ Rule 2016] the State Government hereby appoints the Chairperson/members of the Child Welfare Committee as specified in column (3) for the following districts as specified in column (2) for the period of three years from the date of notification :—

### SCHEDULE

| S. No.<br>(1) | Name of District<br>(2) | Name of Chairperson/Members<br>(3)                   |                  |
|---------------|-------------------------|--|------------------|
| 1             | Khandwa                 | 1. Shri Panna Lal Gupta<br>2. Shri Vijay Kumar Rathi | Member<br>Member |

क्र. 4393-771-2021-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 04 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88 (10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को किशोर न्याय बोर्ड के

सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:—

### अनुसूची

| अ. क्र.<br>(1) | जिले का नाम<br>(2) | सदस्य का नाम<br>(3)  |       |
|----------------|--------------------|----------------------|-------|
| 1              | खण्डवा             | 1. श्रीमती अनिता शाह | सदस्य |

No. 4393-771-2021-L-2.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 04 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 [read along with Rule 88 (10) of JJ Rule 2016] the State Government hereby appoints the members of the Juvenile Justice Board as specified in column (3) for the following districts as specified in column (2) for the period of three years from the date of notification :—

### SCHEDULE

| S. No.<br>(1) | Name of District<br>(2) | Name of Members<br>(3) |        |
|---------------|-------------------------|------------------------|--------|
| 1             | Khandwa                 | 1. Smt. Anita Shah     | Member |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वाति मीणा नायक, अपर सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश,

मध्यप्रदेश, भोपाल

कचनार, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी,  
हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2021

### शुद्धि-पत्र

क्र. 5018-टी.डी.आर. 09-वि.यो.-नगानि-2021.—क्रमांक 4760, भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2021 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 5 नवम्बर 2021 भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 9198-9199 में प्रकाशित उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना के अंतिम पैरा में—

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

के स्थान पर

“मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण-पत्र जारी करेगा” पढ़ा जावे.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

## कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

मानव संसाधन विकास, प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल  
विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2021

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 के परिपेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिए विभागीय परीक्षा दिनांक 27-30 जुलाई 2021 की अवधि में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक के लिए दिनांक 27 जुलाई 2021 को प्रथम-वन विधि, दिनांक 28 जुलाई 2021 को द्वितीय-सामान्य विधि दिनांक 29 जुलाई 2021 को तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा विषयों पर सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

## भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन एवं सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम

| क्र.                 | परीक्षार्थी का नाम             | पद                    | परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं) |              |                    |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--------------|--------------------|
| (1)                  | (2)                            | (3)                   | (4)                                    |              |                    |
| <b>बालाघाट संभाग</b> |                                |                       |  |              |                    |
| 1                    | श्री निध्यानंतम एल.            | भावसे प्रशिक्षु       | वन विधि                                | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 2                    | श्री विकास माहोरे              | सहा. व. सं. प्रशिक्षु | वन विधि                                | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 3                    | कुमारी वंदना पाल               | वनक्षेत्रपाल          | वन विधि                                | सामान्य विधि | —                  |
| 4                    | श्री दीपेन्द्र मोहन पाठक       | वनक्षेत्रपाल          | वन विधि                                | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| <b>बैतूल संभाग</b>   |                                |                       |  |              |                    |
| 5                    | श्री नरेन्द्र रावत             | भावसे प्रशिक्षु       | वन विधि                                | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 6                    | कु. सीमा ठाकुर                 | सहा. व. सं. प्रशिक्षु | वन विधि                                | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 7                    | श्री अंकित नरवरे               | वनक्षेत्रपाल          | —                                      | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| <b>भोपाल संभाग</b>   |                                |                       |  |              |                    |
| 8                    | श्री निकुंज पाण्डेय            | सहा. व. सं.           | —                                      | सामान्य विधि | —                  |
| 9                    | श्री माधु सिंह सिसोदिया        | वनक्षेत्रपाल          | —                                      | सामान्य विधि | —                  |
| 10                   | श्री नितिन निगम                | वनक्षेत्रपाल          | —                                      | सामान्य विधि | —                  |
| 11                   | श्रीमती सरोज रोज               | वनक्षेत्रपाल          | वन विधि                                | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 12                   | श्री रविन्द्र पाटीदार          | वनक्षेत्रपाल          | —                                      | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 13                   | सुश्री प्रीति काकोड़िया        | वनक्षेत्रपाल          | वन विधि                                | —            | —                  |
| 14                   | श्री अंशज प्रताप सिंह भदौरिया. | सहा. व. सं.           | वन विधि                                | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 15                   | श्री जयकुमार धुर्वे            | वनक्षेत्रपाल          | वन विधि                                | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 16                   | श्री संजय कुमार यादव           | उप वन संरक्षक         | वन विधि                                | —            | —                  |
| 17                   | श्री अमित सिलधारिया            | वनक्षेत्रपाल          | —                                      | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 18                   | श्री डी. के. मराठा             | वनक्षेत्रपाल          | —                                      | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| <b>छतरपुर संभाग</b>  |                                |                       |  |              |                    |
| 19                   | श्री आनंद शिवहरे               | वनक्षेत्रपाल          | वन विधि                                | —            | —                  |
| 20                   | श्री अजीत सिंह जाट             | वनक्षेत्रपाल          | —                                      | सामान्य विधि | —                  |

| (1)                     | (2)                         | (3)                    | (4)     |              |                    |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|--------------|--------------------|
| <b>छिन्दवाड़ा संभाग</b> |                             |                        |         |              |                    |
| 21                      | श्री सर्वेश सोनवानी         | भा.व.से. प्रशिक्षु     | वन विधि | सामान्य विधि | —                  |
| 22                      | श्री जितेन्द्र बसंल         | वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु | —       | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 23                      | श्री दीपक कुमार चौधरी       | वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु | —       | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 24                      | श्री नीतिन राजोरिया         | वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु | —       | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 25                      | श्री अंशुल कुमार रावत       | वनक्षेत्रपाल           | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 26                      | श्री नीरज परिहार            | वनक्षेत्रपाल           | —       | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 27                      | श्री हिमांशु विश्वकर्मा     | वनक्षेत्रपाल           | —       | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| <b>ग्वालियर संभाग</b>   |                             |                        |         |              |                    |
| 28                      | श्री आदित्य शांडिल          | सहा. व. सं.            | वन विधि | —            | —                  |
| 29                      | श्री सुखदेव शर्मा           | वनक्षेत्रपाल           | वन विधि | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 30                      | श्री दीपांकर सिंह           | वनक्षेत्रपाल           | —       | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 31                      | श्री अमृतांशु सिंह          | सहा. व. सं.            | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 32                      | सुश्री विनिता सूर्यवंशी     | वनक्षेत्रपाल           | —       | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| <b>होशंगाबाद संभाग</b>  |                             |                        |         |              |                    |
| 33                      | श्री दुर्गेश सिंह बिसेन     | वनक्षेत्रपाल           | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 34                      | श्री निशांत डोसी            | वनक्षेत्रपाल           | वन विधि | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| <b>इंदौर संभाग</b>      |                             |                        |         |              |                    |
| 35                      | श्री पियुष प्रसाद चौधरी     | वनक्षेत्रपाल           | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 36                      | सुश्री प्रियंका मरकाम       | वनक्षेत्रपाल           | वन विधि | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| <b>जबलपुर संभाग</b>     |                             |                        |         |              |                    |
| 37                      | श्री आर. थिरूकुरल           | भावसे प्रशिक्षु        | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 38                      | श्री कुलदीप नारायण त्रिपाठी | सहा. व. सं. प्रशिक्षु  | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 39                      | श्री ऋषि तिवारी             | वनक्षेत्रपाल           | —       | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 40                      | श्री हंसराज चौहान           | वनक्षेत्रपाल           | —       | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 41                      | श्री आदर्श मिश्रा           | वनक्षेत्रपाल           | —       | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 42                      | श्री रामेश्वर टेकाम         | वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 43                      | श्रीमती लतिका तिवारी        | वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षु | वन विधि | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 44                      | सुश्री भाग्यशाली सिंह       | सहा. व. सं. प्रशिक्षु  | वन विधि | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 45                      | श्री सौरभ शर्मा             | वनक्षेत्रपाल           | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 46                      | सुश्री सोनम जैन             | वनक्षेत्रपाल           | वन विधि | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 47                      | श्री गुरुदयाल साहू          | वनक्षेत्रपाल           | वन विधि | —            | —                  |
| 48                      | सुश्री प्राची मिश्रा        | वनक्षेत्रपाल           | —       | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 49                      | श्री रोहित जैन              | वनक्षेत्रपाल           | —       | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 50                      | श्री नीरज पाण्डेय           | वनक्षेत्रपाल           | —       | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 51                      | श्री अभिनाश जैन             | वनक्षेत्रपाल           | —       | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |

**खण्डवा संभाग**

|    |                     |                    |         |              |                    |
|----|---------------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|
| 52 | श्री अनुराग तिवारी  | भा.व.से. प्रशिक्षु | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 53 | श्री सदीप वास्कुले  | सहा. व. सं.        | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 54 | श्री यश बन्धु       | वनक्षेत्रपाल       | वन विधि | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 55 | श्री मणिशंकर मिश्रा | सहा. व. सं.        | वन विधि | —            | —                  |
| 56 | श्री विक्रम सुल्या  | वनक्षेत्रपाल       | वन विधि | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |

**रीवा संभाग**

|    |                       |                      |         |              |                    |
|----|-----------------------|----------------------|---------|--------------|--------------------|
| 57 | श्री अनुपम शर्मा      | भा. व. से. प्रशिक्षु | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 58 | श्री मयंक सिंह गुर्जर | भा. व. से. प्रशिक्षु | वन विधि | —            | —                  |
| 59 | श्री शुभम जैन         | वनक्षेत्रपाल         | —       | सामान्य विधि | —                  |
| 60 | श्री मुकुल सिंह ठाकुर | सहा. व. सं.          | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 61 | सुश्री कविता रावत     | वनक्षेत्रपाल         | वन विधि | —            | —                  |
| 62 | श्री महावीर पाण्डे    | वनक्षेत्रपाल         | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |

**सागर संभाग**

|    |                         |              |         |              |                    |
|----|-------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------|
| 63 | श्रीमती अर्चना नरवरे    | वनक्षेत्रपाल | वन विधि | —            | —                  |
| 64 | श्री देवेश खराड़ी       | वनक्षेत्रपाल | वन विधि | —            | —                  |
| 65 | श्रीमती रेखा पटेल       | सहा. व. सं.  | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 66 | श्री राघवेन्द्र भदौरिया | वनक्षेत्रपाल | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 67 | सुश्री वैशाली नामदेव    | वनक्षेत्रपाल | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 68 | श्री रूपकिशोर दीक्षित   | वनक्षेत्रपाल | —       | सामान्य विधि | —                  |

**सिवनी संभाग**

|    |                                   |              |         |              |                    |
|----|-----------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------|
| 69 | श्रीमती मनीषा वाघाडे<br>घोडेसवार. | वनक्षेत्रपाल | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 70 | श्री मयंक राज                     | सहा. व. सं.  | —       | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |

**शहडोल संभाग**

|    |                        |                 |         |              |                    |
|----|------------------------|-----------------|---------|--------------|--------------------|
| 71 | श्री स्वरूप दीक्षित    | भावसे प्रशिक्षु | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 72 | श्री स्वास्ति श्री जैन | वनक्षेत्रपाल    | वन विधि | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 73 | श्री दिनेश कुमार पटेल  | वनक्षेत्रपाल    | वन विधि | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 74 | श्री मनीष कुमार पटेल   | वनक्षेत्रपाल    | —       | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |

**शिवपुरी संभाग**

|    |                       |              |   |              |                    |
|----|-----------------------|--------------|---|--------------|--------------------|
| 75 | श्री भुवनेश योगी      | वनक्षेत्रपाल | — | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 76 | कुमारी पूनम गुप्ता    | वनक्षेत्रपाल | — | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 77 | कुमारी पिंकी रघुवंशी  | वनक्षेत्रपाल | — | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 78 | श्री प्रभुलाल मुछाला  | वनक्षेत्रपाल | — | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 79 | श्री श्रीकांत भरद्वाज | वनक्षेत्रपाल | — | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |

**उज्जैन संभाग**

|    |                      |              |         |              |                    |
|----|----------------------|--------------|---------|--------------|--------------------|
| 80 | श्री राजेश मण्डवलिया | सहा. व. सं.  | —       | —            | प्रक्रिया तथा लेखा |
| 81 | श्रीमती कौशम्बी झा   | वनक्षेत्रपाल | वन विधि | सामान्य विधि | प्रक्रिया तथा लेखा |

बिभाष कुमार ठाकुर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

पत्र क्र. 838-भू-अर्जन-2021

आगर-मालवा, दिनांक 27 अगस्त 2021

अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 1 में कलारिया बांध के डुब प्रभावित ग्राम कलारिया तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा, कलारिया बांध क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

| अनुसूची (1)     |   |   |             |
|-----------------|---|---|-------------|
| ग्राम - कलारिया |   | तहसील - सुसनेर जिला आगर मालवा                 |             |
| क्र.            | विवरण   | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) |             |
|                 |   | कुल रकबा                                      | अर्जित रकबा |
| 1               | 2. कलारिया बांध के निर्माण में एवं डुब क्षेत्र में प्रभावित होने से | 1.182   | 0.70        |
| योग             |   | 1.182   | 0.70        |

| अनुसूची (2)     |                                      |   |          |             |
|-----------------|--------------------------------------|---|----------|-------------|
| ग्राम - कलारिया |                                      | तहसील - सुसनेर जिला आगर मालवा                 |          |             |
| क्र.            | विवरण                                | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) |          |             |
|                 |                                      | सर्वे नम्बर                                   | कुल रकबा | अर्जित रकबा |
| 1               | 2. मदनसिंह पिता दुलेसिंह जाति सौधिया | 90  | 0.592    | 0.350       |
|                 |                                      | 91  | 0.590    | 0.350       |
| योग             |                                      | 2   | 1.820    | 0.700       |

पत्र क्र. 840-भू-अर्जन-2021

(अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 1 में कलारिया बांध के डुब प्रभावित ग्राम बीड माधोपुर तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा, कलारिया बांध क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

| अनुसूची (1)         |   |   |             |
|---------------------|---|---|-------------|
| ग्राम - बीड माधोपुर |   | तहसील - सुसनेर जिला आगर मालवा                 |             |
| क्रं.               | विवरण   | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) |             |
|                     |   | कुल रकबा                                      | अर्जित रकबा |
| 1                   | 2. कलारिया बांध के निर्माण में एवं डुब क्षेत्र में प्रभावित होने से | 1.320   | 1.320       |
| योग                 |   | 1.320   | 1.320       |

| अनुसूची (2)         |  |   |          |             |
|---------------------|--|---|----------|-------------|
| ग्राम - बीड माधोपुर |  | तहसील - सुसनेर जिला आगर मालवा                 |          |             |
| क्रं.               | विवरण  | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) |          |             |
|                     |  | सर्वे नम्बर                                   | कुल रकबा | अर्जित रकबा |
| 1                   | 2. दुलेसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया निवासी कलारिया | 82  | 0.200    | 0.200       |
|                     |  | 65 मिन-3                                      | 1.120    | 1.120       |
| योग                 |  | 2   | 1.320    | 1.320       |

अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र. भू-अर्जन-2021-1490-रा. प्र. क्र. 0001-अ-82-2021-22

उज्जैन, दिनांक 1 नवम्बर 2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में वर्णित भूमि में अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

- / अनुसूची / -

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला उज्जैन  
(ग) कस्बा उज्जैन

(ख) तहसील उज्जैन  
(घ) अर्जित रकबा 0.324 हेक्टर

| क्र. | भूमि सर्वे कमांक | कुल रकबा | प्रस्तावित अधिग्रहित रकबा | परिसंपत्ति का विवरण  |
|------|------------------|----------|---------------------------|--|
| 1    | 2107             | 0.073    | 0.073                     | बडा गणेश मंदिर शासकीय पक्का निर्माण 126.40 वर्गमीटर विनोदशंकर पिता सत्यनारायण पक्का मकान 95.35 वर्ग मी. बालकृष्ण पिता नारायण व्यास पक्का मकान 161.13 वर्ग मी.  |
| 2    | 2108             | 0.084    | 0.084                     | तिलक पिता सुदर्शन व्यास पक्का मकान 58 वर्गमी. साकेत पिता सुदर्शन व्यास पक्का मकान 83.13 वर्गमी. विनोद पिता सत्यनारायण व्यास पक्का मकान 196.28 वर्ग मी.<br>कुआ-1 पक्का  |
| 3    | 2109             | 0.094    | 0.094                     | दरगाह एवं खुली भूमि 85 वर्ग मीटर<br>निलेश गर्ग टॉन शेडगोडाउन 91.42 वर्ग मीटर<br>कालू सिंधी पक्का मकान 48 वर्गमीटर<br>मुरलीधर शर्मा पक्का मकान 32.43 वर्गमीटर एवं ट्यूबवेल-1<br>दीक्षितजी पक्का मकान 32.43 वर्गमीटर<br>गोपी कंजर लाज पक्का मकान 115.66 वर्ग मीटर<br>बलराम सेठ पिता भेरूसिंह राठौर मकान नं. 1/1/2 क्षेत्रफल 118.65 वर्ग मी |
| 4    | 2110             | 0.073    | 0.073                     | यशवंत व्यास मकान पक्का 179.20 वर्ग मीटर  |

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बडा गणेश मंदिर से चौबीस खंबा मार्ग 18 मी. चौडीकरण के लिए अधिग्रहण हेतु।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उज्जैन तथा प्रशासक श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**आशीष सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र. 10592-भू-अर्जन-2021 प्र. क्र. 0004-अ-82-2020-21

धार, दिनांक 1 नवम्बर 2021

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम  
2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा अंतर्गत धारा -11 के अंतर्गत)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम रेहडदा तहसील गंधवानी जिला धार के वन क्षेत्र (बीट) रेहडदा, वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नंबर 550 के डूब प्रभावित वनाधिकार की प्रभावित वनपट्टा की भूमि जिसका पट्टेवार एवं प्लॉटकोड वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम. - रेहडदा

तहसील गंधवानी, जिला-धार

| कं. | विवरण   | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) |         |       |
|-----|---|---|---------|-------|
|     |   | सिंचित  | असिंचित | कुल   |
| 1   | बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से | 3.461   | 00      | 3.461 |
|     | योग   | 3.461   | 00      | 3.461 |

अनुसूची (2)

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम रेहडदा तहसील गंधवानी की प्रभावित वन क्षेत्र (बीट) वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नंबर 550 भूमि का विवरण

| क्रमांक | पट्टा धारक का नाम व पिता/पति का नाम | कोट, प्लॉट कोड एवं प्लॉट क्रमांक | भूमि का कुल रकबा |         |       | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) |         |       |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------|-------|---|---------|-------|
|         |                                     |                                  | सिंचित           | असिंचित | कुल   | सिंचित  | असिंचित | कुल   |
| 1       | उमनसिंह पिता चंदरिया                | 172225839001                     | 1.923            | 0.00    | 1.923 | 1.923   | 0.00    | 1.923 |
| 2       | प्रताप पिता रागु                    | 172225857001                     | 0.559            | 0.00    | 0.559 | 0.559   | 0.00    | 0.559 |
| 3       | वेसु पिता नानक                      | 172225887001                     | 0.445            | 0.00    | 0.445 | 0.445   | 0.00    | 0.445 |
| 4       | ज्ञानसिंह पिता खुमसिंह              | 172209205002                     | 0.534            | 0.00    | 0.534 | 0.534   | 0.00    | 0.534 |
|         |                                     | कुल योग                          |                  |         |       | 3.461   | 0.0     | 3.461 |

क्र. 10672-भू-अर्जन-2021 प्र. क्र. 0001-अ-82-2020-21

धार, दिनांक 2 नवम्बर 2021

(भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा अंतर्गत धारा -11 के अंतर्गत)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम खोजाकुआ तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

### अनुसूची (1)

ग्राम - खोजाकुआ

तहसील गंधवानी, जिला - धार

| क्र. | विवरण   | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) |         |       |
|------|---|---|---------|-------|
|      |   | सिंचित  | असिंचित | कुल   |
| 1    | बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से | 0.879   | 00      | 0.879 |
|      | योग   | 0.879   | 00      | 0.879 |

### अनुसूची (2)

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम खोजाकुआ तहसील गंधवानी की प्रभावित भूमि का विवरण

| क्रमांक | कृषक का नाम व पिता/पति का नाम                              | खसरा क्रमांक | भूमि का कुल रकबा |         |       | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) |         |       |
|---------|--|--------------|------------------|---------|-------|---|---------|-------|
|         |  |              | सिंचित           | असिंचित | कुल   | सिंचित  | असिंचित | कुल   |
| 1       | बल्लू रीछाबाई, पुनाबाई पिता गजा जाति भीलाला निवासी खोजाकुआ | 84           | 0.491            | 0.00    | 0.491 | 0.491   | 0.00    | 0.491 |
| 2       | इन्दरसिंह पिता भावसिंह जाति भीलाला निवासी खोजाकुआ          | 72           | 0.304            | 0.00    | 0.304 | 0.304   | 0.00    | 0.304 |
| 3       | कासल्या पिता पुन्या जाति मानकर निवासी खोजाकुआ              | 241          | 0.084            | 0.00    | 0.084 | 0.084   | 0.00    | 0.084 |
| कुल योग |  |              |                  |         |       | 0.879   | 0.00    | 0.879 |

क्र. 10674-भू-अर्जन-2021 प्र. क्र. 0004-अ-82-2020-21

(भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा अंतर्गत धारा -11 के अंतर्गत)

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम रेहडदा तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

### अनुसूची (1)

ग्राम - रेहडदा

तहसील गंधवानी, जिला - धार

| कं. | विवरण   | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) |         |        |
|-----|---|---|---------|--------|
|     |   | सिंचित  | असिंचित | कुल    |
| 1   | बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से | 13.638  | 1.603   | 15.241 |
|     | योग   | 13.638  | 1.603   | 15.241 |

### अनुसूची (2)

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम रेहडदा तहसील गंधवानी की प्रभावित भूमि का विवरण

| क्रमांक | कृषक का नाम व पिता/पति का नाम   | खसरा कमांक | भूमि का कुल रकबा |         |       | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) |         |       |
|---------|---|------------|------------------|---------|-------|---|---------|-------|
|         |   |            | सिंचित           | असिंचित | कुल   | सिंचित  | असिंचित | कुल   |
| 1       | अबर सिंह, कुवरसिंह पिता दरियाब जाति भील नि. रेहडदा  | 310/2/3    | 1.000            | 0       | 1.000 | 1.000   | 0       | 1.000 |
| 2       | गुलाब पिता रतु जाति भील नि. रेहडदा  | 310/2/1/1  | 0.538            | 0       | 0.538 | 0.538   | 0       | 0.538 |
| 3       | नुरु पिता रतु जाति भील नि. रेहडदा   | 310/2/1/4  | 0.539            | 0       | 0.539 | 0.539   | 0       | 0.539 |
| 4       | बनसिंह पिता हसन जाति भील नि. रेहडदा   | 310/2/2/3  | 0.086            | 0       | 0.086 | 0.086   | 0       | 0.086 |
| 5       | भुरु पिता रतु जाति भील नि. रेहडदा   | 310/2/1/2  | 0.538            | 0       | 0.538 | 0.538   | 0       | 0.538 |
| 6       | घरमसिंह, देदीप, कृष्णाबाई, इसनाबाई पिता रणसिंह व समताबाई बेवा रणसिंह जाति भील नि. रेहडदा                | 310/2/2/1  | 0.162            | 0       | 0.162 | 0.162   | 0       | 0.162 |
| 7       | हीरासिंह, केरु, उस्तास, सुकलीबाई बा. कला नाबा. पिता लालु पा.कर्ता सकरीबाई बेवा लालु जाति भील नि. रेहडदा | 310/2/1/3  | 0.539            | 0       | 0.539 | 0.539   | 0       | 0.539 |
| 8       | थावरसिंह, महेश, संतोष, संजय, मेशरा पिता धनसिंह व मेहरबाई बेवा धनसिंह जाति भील नि. रेहडदा                | 310/2/2/2  | 0.152            | 0       | 0.152 | 0.152   | 0       | 0.152 |
| 9       | बापुसिंह पिता दौलतसिंह जाति भीलाला नि. रेहडदा   | 287/2      | 0                | 1.029   | 1.029 | 0   | 1.029   | 1.029 |
|         |   | 283        | 0.387            | 0       | 0.387 | 0.387   | 0       | 0.387 |
| 10      | अमरसिंह पिता रायसिंह जाति मिलाला नि. रेहडदा   | 180/2/2    | 0.418            | 0       | 0.418 | 0.418   | 0       | 0.418 |
| 11      | बापुसिंह पिता नारायण जाति मिलाला नि. रेहडदा   | 197/2      | 0.261            | 0       | 0.261 | 0.261   | 0       | 0.261 |

| क्रमांक        | कृषक का नाम व पिता/पति का नाम  | खसरा<br>क्रमांक | भूमि का कुल रकबा |         |       | अर्जित की जाने वाली भूमि का<br>रकबा (हेक्टर में) |              |               |
|----------------|--|-----------------|------------------|---------|-------|--|--------------|---------------|
|                |  |                 | सिंचित           | असिंचित | कुल   | सिंचित   | असिंचित      | कुल           |
| 12             | प्रेमसिंह पिता नवलसिंह जाति भिलाला<br>नि. रेहडदा   | 269             | 2.466            | 0       | 2.466 | 2.466  | 0            | 2.466         |
| 13             | तेरसिंह, चतरीबाई पिता रणसिंह व<br>नानकीबाई बैबा रणसिंह जाति भील  | 279/2/3         | 0.576            | 0       | 0.576 | 0.576  | 0            | 0.576         |
| 14             | कुकरसिंह पिता रायसिंह जाति<br>भिलाला. नि. रेहडदा   | 180/2/3         | 0.300            | 0       | 0.300 | 0.300  | 0            | 0.300         |
| 15             | भुवान, भंगडीबाई पिता लुणीया, फुन्दीबाई<br>बैबा लुणीया जाति भील नि. रेहडदा  | 279/2/2         | 0.574            | 0       | 0.574 | 0.574  | 0            | 0.574         |
| 16             | बुदला पिता जतनसिंह जाति भील न<br>रेहडदा  | 247/1           | 0.226            | 0       | 0.226 | 0.226  | 0            | 0.226         |
|                |  | 296/1/2         | 0.091            | 0       | 0.091 | 0.091  | 0            | 0.091         |
|                |  | 279/3/1/2       | 0.070            | 0       | 0.070 | 0.070  | 0            | 0.070         |
| 17             | सैकड़ा पिता जतनसिंह जाति भील नि.<br>रेहडदा   | 247/3           | 0.227            | 0       | 0.227 | 0.227  | 0            | 0.227         |
|                |  | 279/3/1/3       | 0.069            | 0       | 0.069 | 0.069  | 0            | 0.069         |
|                |  | 296/1/3         | 0.091            | 0       | 0.091 | 0.091  | 0            | 0.091         |
| 18             | अमरसिंह, रामसिंह, अभयसिंह, गुलाबसिंह<br>पिता अनरया, रायसिंह, दिनेश, राकेश,<br>कालू, भुवान पिता बोंदरिया, रामबाई बैबा<br>बोंदरिया जाति भील नि. रेहडदा                                       | 180/2/1/2       | 0.820            | 0.000   | 0.820 | 0.820  | 0.000        | 0.820         |
| 19             | भावसिंह, मुन्नीबाई पिता थावरिया<br>जाति भील नि. रेहडदा   | 279/2/1/1       | 0                | 0.287   | 0.287 | 0  | 0.287        | 0.287         |
| 20             | रुमाल पिता थावरिया, सुकलीबाई पति<br>स्व. थावरिया जाति भील नि. रेहडदा   | 279/2/1/2       | 0                | 0.287   | 0.287 | 0  | 0.287        | 0.287         |
| 21             | प्रताप पिता रामसिंह जाति भीलाला नि.<br>रेहडदा  | 180/2/1/1       | 0.270            | 0       | 0.270 | 0.270  | 0            | 0.270         |
| 22             | शंकर पिता नुरजा जाति भील नि.<br>रेहडदा   | 85/2/4          | 1.200            | 0       | 1.200 | 0.500  | 0            | 0.500         |
| 23             | कैरू, भारता, पारली पिता हारू जाति<br>भील व कनुबाई बैबा हारू नि. रेहडदा   | 88/9            | 2.000            | 0       | 2.000 | 0.700  | 0            | 0.700         |
| 24             | ठाकुरसिंह पिता कालुसिंह व पारुबाई<br>बैबा कालूसिंह जाति भील नि. रेहडदा   | 88/10           | 1.620            | 0       | 1.620 | 1.000  | 0            | 1.000         |
| 25             | जैमालसिंह पिता कालुसिंह, धुघाबाई बैबा<br>कालुसिंह जाति भीलाला नि. रेहडदा   | 65/1            | 0.345            | 0       | 0.345 | 0.100  | 0            | 0.100         |
| 26             | बेरसिंह, शंकरबाई पिता कालुसिंह<br>जाति भिलाला नि. रेहडदा   | 65/2            | 0.345            | 0       | 0.345 | 0.100  | 0            | 0.100         |
| 27             | रुमाल, संतुबाई पिता कालुसिंह जाति<br>भिलाला नि. रेहडदा   | 65/3            | 0.346            | 0       | 0.346 | 0.100  | 0.000        | 0.100         |
| 28             | मडिया, राजु, पानबाई पिता रूगनाथ व<br>कालु, मुकेश, बिलाम, पदम, सुनिता, रेवाबाई<br>पिता जगन व तुमाबाई, नहजुबाई बैबा<br>जगन, छगन, मगन, सेलबाई, बुलीबाई पिता<br>छतरसिंह जाति भीलाला नि. रेहडदा | 281             | 1.181            | 0       | 1.181 | 0.738  | 0.000        | 0.738         |
| <b>कुल योग</b> |  |                 |                  |         |       | <b>13.638</b>                                    | <b>1.603</b> | <b>15.241</b> |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 11819-ए-07-अ-82-2020-21

राजगढ़, दिनांक 1 नवम्बर 2021

**द्वितीय पूरक - प्रकरण**

अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ के ग्राम लक्ष्मीपुरा के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची (1)**

| ग्राम - लक्ष्मीपुरा                             |   | तहसील - जीरापुर                         |          | जिला - राजगढ़                 |                                    |       |
|---|---|---|----------|-------------------------------|------------------------------------|-------|
| स. क्र.   | विवरण   | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर |          |                               |                                    |       |
|   |   | कुल रकबा                                |          | अर्जित रकबा                   |                                    |       |
| 1   | निजी भूमि<br>1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से   | 4.000                                   |          | 0.780                         |                                    |       |
| 1. कुण्डलिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से |   |   |          |                               |                                    |       |
| स.क्र.  | कृषक का नाम   | खसरा नं.                                | कुल रकबा | पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा | प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा | योग   |
| 1   | 2   | 3                                       | 4        | 5                             | 6                                  | 7     |
| 1   | किशन पिता नाथू जाति चमार पता कायथा जीरापुर राजगढ़ सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी   | 25/1/3                                  | 2.000    | 0.000                         | 0.650                              | 0.650 |
| योग-  |   |   | 2.000    | 0.000                         | 0.650                              | 0.650 |
| 2   | मांगूबाई पिता बंशीलाल जाति चमार पता राजगढ़ 1/3 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय, शैतानबाई बेवा बंशीलाल जाति चमार पता राजगढ़ 1/3 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय, बिरजलाल ना.बालिग पिता बंशीलाल संरक्षक माता शैतानबाई जाति चमार पता राजगढ़ 1/3 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय | 25/1/4                                  | 2.000    | 0.000                         | 0.130                              | 0.130 |
| योग-  |   |   | 2.000    | 0.000                         | 0.130                              | 0.130 |
| कुल योग-  |   |   | 4.000    | 0.000                         | 0.780                              | 0.780 |

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र. 92-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-10615

सागर, दिनांक 1 नवम्बर 2021

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग प्रमुख परियोजना अभियंता -1। रेल विकास निगम लिमिटेड को बीना से कटनी बी0जी0 रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना के अंतर्गत रेलवे विभाग को रेलवे लाईन विछाने हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारु आवागमन हो जावेगा तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाइन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम सिमरियाचीतेमान तहसील खुरई जिला सागर में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम -2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

(1) परियोजना का नाम बीना से कटनी रेलवे लाइन तिहरीकरण निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1 जिला             | सागर           |
| 2 तहसील            | खुरई           |
| 3 ग्राम            | सिमरियाचीतेमान |
| 4 प0ह0नं0          | 51             |
| 5 अर्जित क्षेत्रफल | 0.591 हैक्टर   |

अनुसूची-1

| स. क. | अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम                       | स्वामित्व का प्रकार | खसरा कमांक | क्षेत्रफल कुल रकवा हैक्टर में | अर्जित भूमि (रकवा हैक्टर में) | भूमि का प्रकार |
|-------|---|---------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1     | 2   | 3                   | 4          | 5                             | 6                             | 7              |
| 1     | मेहरवानसिंह पिता कुवरसिंह दांगी सा0देह                      | भूमिस्वामी          | 20/9       | 0.200                         | 0.056                         | कृषिभूमि       |
| 2     | नेहा पुत्री बलरामसिंह चित्ररेखा बेवा बलरामसिंह दांगी सा0देह | भूमिस्वामी          | 21         | 0.800                         | 0.158                         | कृषिभूमि       |
| 3     | तिलकसींग पिता भगोनी प्रजापति सा0 मूडरा                      | भूमिस्वामी          | 22/1       | 1.950                         | 0.137                         | कृषिभूमि       |
| 4     | तिलकसींग बालचंद पिता भगोनी ,श्यामरानी बेवा भगोनी नि0 मूडरा  | भूमिस्वामी          | 22/2       | 1.280                         | 0.020                         | कृषिभूमि       |
| 5     | सियादुलारी पति वीरसिंह बघेल नि. बनहट                        | भूमिस्वामी          | 27         | 1.250                         | 0.220                         | कृषिभूमि       |
|       | योग   |                     | 5          | 5.480                         | 0.591                         |                |

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक -एफ 16-15 (7) 2014-सात-शा0 2 ए भोपाल, दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भूअर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों, या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेलवे खुरई, प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र0-एफ 16-15(8) 2014 -सात -शा, 2ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश के राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा-43 की उपधारा-(1) के तहत भूअर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा-16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेलवे खुरई समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय विकय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा ~~अनुविभागीय अधिकारी~~ भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 96-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-10617

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग प्रमुख परियोजना अभियंता -1। रेल विकास निगम लिमिटेड को बीना से कटनी बी0जी0 रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना के अंतर्गत रेलवे विभाग को रेलवे लाईन विछाने हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारु आवागमन हो जावेगा तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाइन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम घटयारी तहसील खुरई जिला सागर में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम -2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

(1) परियोजना का नाम

बीना से कटनी रेलवे लाइन तिहरीकरण निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1 जिला             | सागर         |
| 2 तहसील            | खुरई         |
| 3 ग्राम            | घटयारी       |
| 4 प0ह0नं0          | 21           |
| 5 अर्जित क्षेत्रफल | 0.273 हैक्टर |

## अनुसूची-1

| स. क. | अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम              | स्वामित्व का प्रकार | खसरा कमांक | क्षेत्रफल कुल रकवा हैक्टर में | अर्जित भूमि (रकवा हैक्टर में) | भूमि का प्रकार |
|-------|--|---------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1     | 2  | 3                   | 4          | 5                             | 6                             | 7              |
| 1     | ब्रम्हस्वरूप पिता कुन्दनलाल पता सा0खुरई भूमिस्वामी | भूमिस्वामी          | 208        | 0.590                         | 0.090                         | कृषिभूमि       |
| 2     | लक्ष्मी बेवा रामस्वरूप नेमा पता खुरई भूमिस्वामी    | भूमिस्वामी          | 211/1      | 6.000                         | 0.183                         | कृषिभूमि       |
|       | योग  |                     | 2          | 6.590                         | 0.273                         | --             |

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक-एफ 16-15 (7) 2014-सात-शा0 2 ए भोपाल, दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ कमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में

कलेक्टर कार्यालय की भूअर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों, या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबंधों को कियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेलवे खुरई, प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क0-एफ 16-15(8) 2014 -सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश के राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ कमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा-43 की उपधारा-(1) के तहत भूअर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा-16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेलवे खुरई समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय विकय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा ~~राजस्व~~ ~~मध्य~~ ~~रेलवे~~ भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 94-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-10616

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग प्रमुख परियोजना अभियंता -1। रेल विकास निगम लिमिटेड को बीना से कटनी बी0जी0 रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना के अंतर्गत रेलवे विभाग को रेलवे लाईन विछाने हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारु आवागमन हो जावेगा तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाइन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम सिलौघा तहसील खुरई जिला सागर में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम -2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

(1) परियोजना का नाम बीना से कटनी रेलवे लाइन तिहरीकरण निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1 जिला             | सागर         |
| 2 तहसील            | खुरई         |
| 3 ग्राम            | सिलौघा       |
| 4 प0ह0नं0          | 32           |
| 5 अर्जित क्षेत्रफल | 4.108 हेक्टर |

अनुसूची-1

| स. क. | अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम  | स्वामित्व का प्रकार | खसरा कमांक | क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टर में | अर्जित भूमि (रकवा हेक्टर में) | भूमि का प्रकार |
|-------|--|---------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1     | 2  | 3                   | 4          | 5                             | 6                             | 7              |
| 1     | ब्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथसिंह, अमरावती बेवा रामनाथसिंह दांगी भूमिस्वामी   | भूमिस्वामी          | 177        | 1.170                         | 0.038                         | कृषिभूमि       |
| 2     | जितेन्द्रसिंह पिता फूलसिंह, अमरावती बेवा रामनाथसिंह दांगी सा0 देह भूमिस्वामी   | भूमिस्वामी          | 178        | 1.150                         | 0.045                         | कृषिभूमि       |
| 3     | शेरसिंग पिता लालसिंग सा0देह  | भूमिस्वामी          | 179        | 1.750                         | 0.086                         | कृषिभूमि       |
| 4     | ब्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ पता सागर 1/5 भाग, फूलसिंह पिता राजाराम सा खुरई 1/5 भाग, रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग, कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग, अमरावती बेवा रामनाथ पता खुरई 1/5 भाग                      | भूमिस्वामी          | 181        | 1.500                         | 0.143                         | कृषिभूमि       |
| 5     | पलक पिता सुनीलकुमार जैन पता सि लौघा भूमिस्वामी   | भूमिस्वामी          | 182/1      | 0.600                         | 0.138                         | कृषिभूमि       |
| 6     | पलक पिता सुनीलकुमार जैन पता सिलौघा भूमिस्वामी  | भूमिस्वामी          | 182/2      | 0.180                         | 0.043                         | कृषिभूमि       |
| 7     | कुंजनसिंग, करनसिंग, प्रहलादसिंग पिता जुझारसिंह सा0देह भूमिस्वामी   | भूमिस्वामी          | 183/1      | 0.330                         |                               | कृषिभूमि       |
| 8     | माखनसिंग पिता काशीराम, जगपाल, राजपाल, कृष्णपाल पिता माखनसिंह सा0 देह   | भूमिस्वामी          | 183/2      | 0.330                         | 0.142                         |                |
| 9     | ब्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ सा0देह 1/5 भाग, फूलसिंह पिता राजाराम पता खुरई भूमिस्वामी 1/5 भाग, रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग, कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग, अमरावती बेवा रामनाथ पता खुरई 1/5 भाग भूमिस्वामी | भूमिस्वामी          | 184        | 0.480                         | 0.119                         | कृषिभूमि       |
| 10    | ब्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ पता सागर 1/5, फूलसिंह पिता राजाराम पता खुरई भूमिस्वामी 1/5 भाग, रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग, कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग, कपूरीबाई बेवा राजाराम पता सागर 1/5 भाग            | भूमिस्वामी          | 188        | 3.520                         | 0.260                         | कृषिभूमि       |

|    |   |            |         |        |       |          |
|----|---|------------|---------|--------|-------|----------|
| 11 | ब्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ पता सागर 1/5, फूलसिंह पिता राजाराम पता खुरई भूमिस्वामी 1/5 भाग, रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग, कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग, कपूरीबाई बेवा राजाराम पता सागर 1/5 भाग                         | भूमिस्वामी | 189     | 2.260  | 0.344 | कृषिभूमि |
| 12 | राममूर्ति पिता दयाराम 1/6 भाग, प्रीति पुत्री दयाराम 1/6 भाग, ब्रजेश पुत्री दयाराम 1/6 भाग, चन्द्रकान्ता पुत्री दयाराम 1/6 भाग, जानकीबाई पुत्री दयाराम 1/6 भाग, अनिकेत पिता नावालिंग पिता व पालक नंदकिशोर पिता गनेशराम पता सिलौघा भूमिस्वामी | भूमिस्वामी | 190/1   | 1.640  | 0.233 | कृषिभूमि |
| 13 | राममूर्ति पिता दयाराम 1/6 भाग, प्रीति पुत्री दयाराम 1/6 भाग, ब्रजेश पुत्री दयाराम 1/6 भाग, चन्द्रकान्ता पुत्री दयाराम 1/6 भाग, जानकीबाई पुत्री दयाराम 1/6 भाग, अनिकेत पिता नावालिंग पिता व पालक नंदकिशोर पिता गनेशराम पता सिलौघा भूमिस्वामी | भूमिस्वामी | 191/1   | 0.780  | 0.098 | कृषिभूमि |
| 14 | जितेन्द्रसिंह पिता फूलसिंह पता निवासी भूमिस्वामी  | भूमिस्वामी | 190/2   | 0.270  | 0.047 | कृषिभूमि |
| 15 | जितेन्द्रसिंह पिता फूलसिंह पता निवासी भूमिस्वामी  | भूमिस्वामी | 191/2   | 0.130  | 0.014 | कृषिभूमि |
| 16 | फूलसींग पिता नवलसींग पता सा0देह भूमिस्वामी  | भूमिस्वामी | 197     | 1.060  | 0.151 | कृषिभूमि |
| 17 | राजेशकुमार पिता वासुदेव पता सा0देह भूमिस्वामी   | भूमिस्वामी | 198     | 0.440  | 0.048 | कृषिभूमि |
| 18 | गुलाबसींग पिता हरप्रसाद पता सा0देह भूमिस्वामी   | भूमिस्वामी | 236     | 2.770  | 0.195 | कृषिभूमि |
| 19 | विनोद कुमार पिता आशराम राठौर सा0 बदरावठा  | भूमिस्वामी | 237/1/1 | 1.200  | 0.390 | कृषिभूमि |
| 20 | रामकृष्ण पिता रामसींग पता सा0देह भूमिस्वामी   | भूमिस्वामी | 238     | 1.630  | 0.275 | कृषिभूमि |
| 21 | वीरसींग पिता रतनसींग पता सागर   | भूमिस्वामी | 242     | 1.080  | 0.288 | कृषिभूमि |
| 22 | परताप पिता गंधर्व पता सा0देह भूमिस्वामी   | भूमिस्वामी | 243     | 0.470  | 0.251 | कृषिभूमि |
| 23 | ताहरसींग पिता नारायणसींग पता निवासी भूमिस्वामी  | भूमिस्वामी | 246     | 3.830  | 0.760 | कृषिभूमि |
|    | योग   |            |         | 28.570 | 4.108 |          |

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक -एफ 16-15 (7) 2014-सात-शा0 2 ए भोपाल, दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भूअर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों, या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेलवे खुरई, प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र0-एफ 16-15(8) 2014 -सात -शा, 2ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश के राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा-43 की उपधारा-(1) के तहत भूअर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा-16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेलवे खुरई समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय विकय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा उपर दृश्य...  
 भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 97-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-10618

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग प्रमुख परियोजना अभियंता -1। रेल विकास निगम लिमिटेड को बीना से कटनी बी0जी0 रेल लाईन (तिहरीकरण) परियोजना के अंतर्गत रेलवे विभाग को रेलवे लाईन विछाने हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारु आवागमन हो जावेगा तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाइन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम बारधा तहसील खुरई जिला सागर में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम -2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

(1) परियोजना का नाम बीना से कटनी रेलवे लाइन तिहरीकरण निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1 जिला             | सागर         |
| 2 तहसील            | खुरई         |
| 3 ग्राम            | बारधा        |
| 4 प0ह0न0           | 14           |
| 5 अर्जित क्षेत्रफल | 8.508 हैक्टर |

अनुसूची-1

| स. क. | अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम  | स्वामित्व का प्रकार | खसरा कमांक | क्षेत्रफल कुल रकवा हैक्टर में | अर्जित भूमि (रकवा हैक्टर में) | भूमि का प्रकार |
|-------|--|---------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1     | 2  | 3                   | 4          | 5                             | 6                             | 7              |
| 1     | धरमचंद पिता नाथूराम पता सागर, भूमिस्वामी हिस्सा 1/10 सौरभ पिता कैलाश पता सागर भूमिस्वामी हिस्सा 1/40 सुनंदा पुत्री कैलाश पता सागर भूमिस्वामी हिस्सा 1/40 सुरभि पुत्री कैलाश पता सागर भूमिस्वामी हिस्सा 1/40 आशाबाई बेवा कैलाश पता सागर 1/40 रमेश कुमार पिता नाथूराम पता सागर भूमिस्वामी 1/10 रामवती पुत्री नाथूराम पता सागर भूमिस्वामी हिस्सा 1/10 मुन्नीबाई पुत्री नाथूराम पता सागर भूमिस्वामी हिस्सा 1/10 जानकीबाई पुत्री नाथूराम पता सागर भूमिस्वामी हिस्सा 1/10 शांतिबाई पुत्री नाथूराम पता सागर भूमिस्वामी हिस्सा 1/10 मंजू पुत्री नाथूराम पता सागर भूमिस्वामी 1/10 सावित्री पुत्री नाथूराम पता सागर भूमिस्वामी हिस्सा 1/10 बिट्टू पिता पप्पू पता सागर भूमिस्वामी हिस्सा 1/10 | भूमिस्वामी          | 25         | 3.700                         | 0.606                         | कृषिभूमि       |

|    |   |            |       |        |       |          |
|----|---|------------|-------|--------|-------|----------|
| 2  | हरनारायण ओमप्रकाश पिता भागीरथ जनकदुलारी बेवा भागीरथ पता सागर म0प्र0 भूमिस्वामी  | भूमिस्वामी | 33    | 0.560  | 0.227 | कृषिभूमि |
| 3  | जगमोहन पिता सवालसींग पता सा0देह भूमिस्वामी  | भूमिस्वामी | 34    | 2.900  | 0.784 | कृषिभूमि |
| 4  | हरनारायण ओमप्रकाश पिता भागीरथ जनकदुलारी बेवा . भागीरथ पता सागर म0प्र0 भूमिस्वामी  | भूमिस्वामी | 39    | 3.700  | 0.222 | कृषिभूमि |
| 5  | रामदुलारी पति खेमचंद पता सा0देह भूमिस्वामी  | भूमिस्वामी | 40    | 1.760  | 0.215 | कृषिभूमि |
| 6  | संतोषरानी पति काशीराम पता सा0देह भूमिस्वामी   | भूमिस्वामी | 41    | 2.000  | 0.120 | कृषिभूमि |
| 7  | विमाकुमारी पिता मैयालाल पता सा0खुरई भूमिस्वामी  | भूमिस्वामी | 265/1 | 6.000  | 1.331 | कृषिभूमि |
| 8  | सुनूर पिता प्रदुमकुमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी  | भूमिस्वामी | 378/1 | 7.000  | 1.905 | कृषिभूमि |
| 9  | गुजिता पिता सुनीलकुमार निवासी ग्राम भूमिस्वामी  | भूमिस्वामी | 379/2 | 5.600  | 0.343 | कृषिभूमि |
| 10 | राजकुमार ,गोपीचंद उर्फ माधवप्रसाद ,सियाबाई सविता पिता शोभाराम पता खुरई भूमिस्वामी हिस्सा 1/2 बलीराम विनोदबाई रामाबाई जानकीबाई मुन्नीबाई पिता परसराम पता बारधा सागर भूमिस्वामी हिस्सा 5/7 , उमाशंकर रामसखी रामलली पिता हरलाल रानी बेवा हरलाल पता बारधा भूमिस्वामी हिस्सा 1/7 | भूमिस्वामी | 399   | 4.300  | 0.802 | कृषिभूमि |
| 11 | जगदीश प्रसाद शालकराम रामजी पिता घनश्याम कुर्मी सा0देह भूमिस्वामी  | भूमिस्वामी | 398   | 1.170  | 0.718 | कृषिभूमि |
| 12 | मोहनलाल पिता सुक्के रामदुलारी पति मोहनलाल सा0देह भूमिस्वामी   | भूमिस्वामी | 397   | 2.580  | 1.235 | कृषिभूमि |
|    | योग   |            | 12    | 41.270 | 8.508 | -        |

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक -एफ 16-15 (7) 2014-सात-शा0 2 ए भोपाल, दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भूअर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों, या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा-12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी खुरई तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेलवे खुरई, प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र0-एफ 16-15(8) 2014 -सात -शा, 2ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश के राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा-43 की उपधारा-(1) के तहत भूअर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा-16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेलवे खुरई समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई तथा ~~...~~ :  
~~...~~ भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**दीपक आर्य**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र. 5848-जि.भू.अ.-2021

सिवनी, दिनांक 8 नवम्बर 2021

**प्रारूप दो  
(नियम 5(1))**

**प्रारंभिक अधिसूचना**

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

1- भूमि का विवरण :-

|                    |   |                     |
|--------------------|---|---------------------|
| (क) जिला           | - | सिवनी               |
| (ख) तहसील          | - | सिवनी               |
| (ग) नगर/ग्राम      | - | डोरलीछतरपुर         |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल | - | निजी रकबा 0.100 हे० |

| स. क्र. | सर्वेक्षण संख्या | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर में) | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता  | सीमाएं                                |                                      |                          |   | वृक्ष |        | संरचनाएं |        |
|---------|------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------|--------|----------|--------|
|         |                  |                     |                |                                      |  | उत्तर                                 | दक्षिण                               | पूर्व                    | पश्चिम  | किस्म | संख्या | प्रकार   | स्थिति |
| 1       | 2                | 3                   | 4              | 5                                    | 6  | 7                                     | 8                                    | 9                        | 10  | 11    | 12     | 13       | 14     |
| 1       | 36/5<br>/1/2     | भूमिस्वामी          | अकृषि          | 0.080                                | यासमीन खान पिता शफदरअली पत्नि मुस्तफाखान जाति मुसलमान पता भगतसिंह वार्ड सिवनी भूमिस्वामी | ग्राम सीरदीवान की अधिग्रहण की गई भूमि | यासमीन खान पिता शफदर अली की शेष भूमि | अब्दुल रब पिता अ. जब्बार | ग्राम कछवाडा की अधिग्रहण की गई भूमि             | -     | -      | -        | -      |
| 2       | 36/5<br>/1/3     | भूमिस्वामी          | अकृषि          | 0.020                                | मोहम्मद जीशान खान पिता हफीज खान जाति मुसलमान पता शहीद वार्ड सिवनी भूमिस्वामी             | ग्राम सीरदीवान की अधिग्रहण की गई भूमि | यासमीन खान पिता शफदर अली की शेष भूमि | अब्दुल रब पिता अ. जब्बार | यासमीन खान पिता शफदर अली की अधिग्रहण की गई भूमि | -     | -      | -        | -      |
| कुल योग |                  |                     |                | 0.100                                |  |                                       |                                      |                          |   | -     | -      | -        | -      |

2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण उपमुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में किया जा सकता है।

4 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र. 26-अ-82-21-22-भू-अर्जन-2021-10373

सागर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

मौजा मुदरा जरूवाखेड़ा पट.ह.नं.-01 तहसील सागर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

|     |   |  |
|-----|---|--|
| (1) | परियोजना विकासक का नाम  | उप मुख्य अभियंता (निर्माण II) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल  |
| (2) | भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन                                   | बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु।  |
| (3) | अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण | 1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर<br>2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सागर<br>3- सरपंच ग्राम पंचायत मुदरा जरूवाखेड़ा वि.ख.सागर<br>4- सचिव ग्राम पंचायत मुदरा जरूवाखेड़ा वि.ख.सागर |
| (4) | भूमि का विवरण   |  |
| (क) | जिला  | सागर   |
| (ख) | तहसील   | सागर   |
| (ग) | ग्राम/नगर   | मुदरा जरूवाखेड़ा   |
| (घ) | कुल प्रभावित क्षेत्र  | 1.5027 हे.   |
| (ङ) | अर्जित होने वाला क्षेत्र  | खसरा नंबर 234, 232, 231, 230/1, 230/4, 230/5, 229, 174, 175, 177/1, 177/2, 178, 180 में से कुल रकवा 1.1562 हे0   |
| (5) | प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण                                | बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु।  |
| (6) | परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र                                  | 1.1562 हे.   |
| (7) | क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है                 | नहीं   |
| (8) | सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख                       | अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर   |

क्र. 27-अ-82-21-22-भू-अर्जन-2021-10374 मौजा तोड़ा पट.ह.न.-05 तहसील सागर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

|     |   |  |
|-----|---|--|
| (1) | परियोजना विकासक का नाम  | उप मुख्य अभियंता (निर्माण II) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल  |
| (2) | भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन                                   | बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु।  |
| (3) | अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण | 1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर<br>2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सागर<br>3- सरपंच ग्राम पंचायत तोड़ा गोमतिया वि.ख.सागर<br>4- सचिव ग्राम पंचायत तोड़ा गोमतिया वि.ख.सागर |
| (4) | भूमि का विवरण   |  |
| (क) | जिला  | सागर   |
| (ख) | तहसील   | <del>सागर</del>  |
| (ग) | ग्राम/नगर   | तोड़ा गोमतिया  |
| (घ) | कुल प्रभावित क्षेत्र  | 1.5027 हे.   |
| (ङ) | अर्जित होने वाला क्षेत्र  | खसरा नंबर 333/1, 333/2, 333/3, 334, 336/1, 336/2, 338, 340/1, 340/2, 346, 343, 344/1, 344/2, 345/1, 345/2, 347/1, 349/4, 349/1, 352/1 से कुल रकवा 1.5027 हे0                       |
| (5) | प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण                                | बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु।  |
| (6) | परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र                                  | 1.5027 हे.   |
| (7) | क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है                 | नहीं   |
| (8) | सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख                       | अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर   |

क्र. 28-अ-82-21-22-भू-अर्जन-2021-10372 मौजा सेमरा लूहरिया पट.ह.न.-07 तहसील सागर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

|     |   |  |
|-----|---|--|
| (1) | परियोजना विकासक का नाम  | उप मुख्य अभियंता (निर्माण II) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल  |
| (2) | भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन                                   | बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु।  |
| (3) | अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण | 1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर<br>2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सागर<br>3- सरपंच ग्राम पंचायत सेमरा लूहरिया वि.ख.सागर<br>4- सचिव ग्राम पंचायत सेमरा लूहरिया वि.ख.सागर |
| (4) | भूमि का विवरण   |  |
| (क) | जिला  | सागर   |
| (ख) | तहसील   | <del>सागर</del>  |
| (ग) | ग्राम/नगर   | सेमरा लूहरिया  |
| (घ) | कुल प्रभावित क्षेत्र  | 0.655 हे.  |
| (ङ) | अर्जित होने वाला क्षेत्र  | खसरा नंबर 246/1, 249/1, 249/2, 250 से कुल रकवा <b>0.655 हे0</b>  |
| (5) | प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण                                | बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु।  |
| (6) | परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र                                  | 0.655 हे.  |
| (7) | क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है                 | नहीं   |
| (8) | सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख                       | अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर   |

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा,  
जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

पत्र क्र. 2794-रीडर-1-2021 रा.प्र.क्र.-0084-बी-121-2021-22

खण्डवा, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

प्ररूप- "घ"  
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1736/रीडर-1/2021, खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 05 में जल परिवहन हेतु ग्राम- कोलगांव, प.ह.न 42, रा.नि.मं.- 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

| जिला    | तहसील  | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक   | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--------|--------------------------------|--------------|---|
| 1       | 2      | 3                              | 4            | 5   |
| खण्डवा  | खण्डवा | ग्राम-<br>कोलगांव,<br>प.ह.न 42 | 544          | 0.046   |
|         |        |                                | 547/7        | 0.040   |
|         |        |                                | 542/2        | 0.110   |
|         |        |                                | 539          | 0.045   |
|         |        |                                | 537/1        | 0.060   |
| खण्डवा  | खण्डवा | ग्राम-<br>कोलगांव,<br>प.ह.न 42 | 529/3        | 0.036   |
|         |        |                                | 529/2/1      | 0.010   |
|         |        |                                | 529/2/2      | 0.015   |
|         |        |                                | 529/2/3      | 0.016   |
|         |        |                                | 530          | 0.004   |
|         |        |                                | 531/3        | 0.040   |
|         |        |                                | 531/1        | 0.048   |
|         |        |                                | 476/3        | 0.023   |
| कुल योग |        |                                | 13           | 0.493   |

पत्र क्र. 2796-रीडर-1-2021 रा.प्र.क्र.-0085-बी-121-2021-22

**प्ररूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1738/रीडर-1/2021, खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 58 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रनगांव, प.ह.न 43, रा.नि.मं.- 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

| जिला           | तहसील  | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|----------------|--------|------------------------------|--------------|---|
| 1              | 2      | 3                            | 4            | 5   |
| खण्डवा         | खण्डवा | ग्राम- रनगांव,<br>प.ह.न 43   | 335          | 0.061   |
| <b>कुल योग</b> |        |                              | <b>01</b>    | <b>0.061</b>  |

पत्र क्र. 2798-रीडर-1-2021 रा.प्र.क्र.-0086-बी-121-2021-22

**प्ररूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1740/रीडर-1/2021, खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु ग्राम- कोटवाड़ा, प.ह.न 59, रा.नि.मं.- 04, खण्डवा, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

| जिला           | तहसील  | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक    | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|----------------|--------|---------------------------------|--------------|---|
| 1              | 2      | 3                               | 4            | 5   |
| खण्डवा         | खण्डवा | ग्राम-<br>कोटवाड़ा,<br>प.ह.न 59 | 6            | 0.006   |
| <b>कुल योग</b> |        |                                 | <b>01</b>    | <b>0.006</b>  |

पत्र क्र. 2800-रीडर-1-2021 रा.प्र.क्र.-0087-बी-121-2021-22

**प्ररूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1742/रीडर-1/2021, खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 03, 08 एवं 196 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़गांव भीला, प.ह.न 79, रा.नि.मं. - 04, खण्डवा-1, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

| जिला           | तहसील  | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक  | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|----------------|--------|-------------------------------|--------------|---|
| 1              | 2      | 3                             | 4            | 5   |
| खण्डवा         | खण्डवा | ग्राम- बड़गांव भीला, प.ह.न 79 | 242/1        | 0.108   |
|                |        |                               | 201/1        | 0.026   |
|                |        |                               | 203          | 0.039   |
|                |        |                               | 204          | 0.010   |
|                |        |                               | 197          | 0.030   |
| खण्डवा         | खण्डवा | ग्राम- बड़गांव भीला, प.ह.न 79 | 196          | 0.022   |
|                |        |                               | 264          | 0.066   |
|                |        |                               | 263/1        | 0.009   |
|                |        |                               | 262/1        | 0.025   |
| <b>कुल योग</b> |        |                               | <b>09</b>    | <b>0.335</b>  |

पत्र क्र. 2802-रीडर-1-2021 रा.प्र.क्र.-0088-बी-121-2021-22

**प्ररूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1732/रीडर-1/2021, खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगान्वा, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) में जल परिवहन हेतु ग्राम- अटूट भिकारी, प.ह.न 55, रा.नि.मं.- 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

| जिला   | तहसील  | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|--------|--------|------------------------------|--------------|---|
| 1      | 2      | 3                            | 4            | 5   |
| खण्डवा | खण्डवा | ग्राम- अटूट भिकारी, प.ह.न 55 | 297/2        | 0.050   |
|        |        |                              | 296          | 0.063   |
|        |        |                              | 300          | 0.043   |
|        |        |                              | 301/1        | 0.030   |
|        |        |                              | 301/2        | 0.030   |

| जिला           | तहसील  | ग्राम / पटवारी<br>हल्का कमांक      | खसरा<br>कमांक | उपयोग के अधिकार<br>के लिये अर्जित की<br>जाने वाली भूमि<br>(हेक्टेयर में) |
|----------------|--------|------------------------------------|---------------|--|
| 1              | 2      | 3                                  | 4             | 5  |
| खण्डवा         | खण्डवा | ग्राम- अटूट<br>भिकारी,<br>प.ह.न 55 | 301/3         | 0.020  |
|                |        |                                    | 275           | 0.061  |
|                |        |                                    | 274/4         | 0.087  |
|                |        |                                    | 273/1/3       | 0.040  |
|                |        |                                    | 273/1/2       | 0.040  |
|                |        |                                    | 352/1         | 0.028  |
|                |        |                                    | 352/2         | 0.010  |
|                |        |                                    | 352/5         | 0.028  |
|                |        |                                    | 352/3         | 0.020  |
|                |        |                                    | 352/6         | 0.010  |
|                |        |                                    | 352/4         | 0.030  |
|                |        |                                    | 353           | 0.018  |
|                |        |                                    | 354           | 0.056  |
|                |        |                                    | 348           | 0.058  |
|                |        |                                    | 347           | 0.044  |
|                |        |                                    | 346           | 0.030  |
|                |        |                                    | 616/2         | 0.093  |
|                |        |                                    | 345           | 0.040  |
|                |        |                                    | 337           | 0.097  |
|                |        |                                    | 617/3         | 0.089  |
|                |        |                                    | 617/1         | 0.020  |
|                |        |                                    | 612           | 0.140  |
|                |        |                                    | 608/1         | 0.010  |
| 608/2          | 0.010  |                                    |               |  |
| 609/1          | 0.012  |                                    |               |  |
| 606/1          | 0.082  |                                    |               |  |
| 606/2          | 0.031  |                                    |               |  |
| <b>कुल योग</b> |        |                                    | <b>32</b>     | <b>1.420</b>   |

पत्र क्र. 2804-रीडर-1-2021 रा.प्र.क्र.-0089-बी-121-2021-22

**प्ररूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1734/रीडर-1/2021, खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सुन्दरबेल, प.ह.न 84, रा.नि.मं.- 04, खण्डवा-1, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

| जिला   | तहसील  | ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक     | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|--------|--------|----------------------------------|--------------|---|
| 1      | 2      | 3                                | 4            | 5   |
| खण्डवा | खण्डवा | ग्राम-<br>सुन्दरबेल,<br>प.ह.न 84 | 92           | 0.016   |
|        |        |                                  | 91           | 0.003   |
|        |        |                                  | 106          | 0.014   |
|        |        |                                  | 107          | 0.002   |
|        |        |                                  | 99/3         | 0.035   |

| जिला    | तहसील  | ग्राम / पटवारी<br>हल्का कमांक    | खसरा<br>कमांक | उपयोग के अधिकार<br>के लिये अर्जित की<br>जाने वाली भूमि<br>(हेक्टेयर में) |
|---------|--------|----------------------------------|---------------|--|
| 1       | 2      | 3                                | 4             | 5  |
| खण्डवा  | खण्डवा | ग्राम—<br>सुन्दरबेल,<br>प.ह.न 84 | 99/2          | 0.018  |
|         |        |                                  | 99/1          | 0.016  |
|         |        |                                  | 100           | 0.034  |
|         |        |                                  | 111/2         | 0.072  |
|         |        |                                  | 113           | 0.006  |
|         |        |                                  | 114           | 0.020  |
|         |        |                                  | 116           | 0.026  |
|         |        |                                  | 117           | 0.026  |
|         |        |                                  | 118/1         | 0.032  |
|         |        |                                  | 118/2         | 0.040  |
|         |        |                                  | 63            | 0.024  |
|         |        |                                  | 61/1          | 0.004  |
|         |        |                                  | 60/3          | 0.029  |
|         |        |                                  | 131/1         | 0.005  |
|         |        |                                  | 126           | 0.120  |
|         |        |                                  | 128           | 0.020  |
|         |        |                                  | 127           | 0.068  |
| कुल योग |        |                                  | 22            | 0.630  |

पत्र क्र. 2806-रीडर-1-2021 रा.प्र.क्र.-0090-बी-121-2021-22

**प्ररूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1744/रीडर-1/2021, खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 03 एवं 196 में जल परिवहन हेतु ग्राम- मथेला, प.ह.न 71, रा.नि.मं.- 04, खण्डवा-1, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

| जिला           | तहसील  | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|----------------|--------|------------------------------|--------------|---|
| 1              | 2      | 3                            | 4            | 5   |
| खण्डवा         | खण्डवा | ग्राम- मथेला,<br>प.ह.न 71    | 198/1        | 0.047   |
|                |        |                              | 201/1        | 0.030   |
|                |        |                              | 201/2        | 0.028   |
|                |        |                              | 201/3        | 0.010   |
|                |        |                              | 245/1        | 0.070   |
|                |        |                              | 245/2        | 0.002   |
| <b>कुल योग</b> |        |                              | <b>06</b>    | <b>0.187</b>  |

पत्र क्र. 2808-रीडर-1-2021 रा.प्र.क्र.-0091-बी-121-2021-22

**प्ररूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1746/रीडर-1/2021, खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 05 में जल परिवहन हेतु ग्राम- कवेश्वर, प.ह.न 41, रा.नि.मं.- 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

| जिला           | तहसील  | ग्राम / पटवारी<br>हल्का क्रमांक | खसरा<br>क्रमांक | उपयोग के अधिकार<br>के लिये अर्जित की<br>जाने वाली भूमि<br>(हेक्टेयर में) |
|----------------|--------|---------------------------------|-----------------|--|
| 1              | 2      | 3                               | 4               | 5  |
| खण्डवा         | खण्डवा | ग्राम-<br>कवेश्वर,<br>प.ह.न 41  | 338             | 0.088  |
|                |        |                                 | 334             | 0.002  |
|                |        |                                 | 321             | 0.040  |
|                |        |                                 | 319             | 0.066  |
|                |        |                                 | 317             | 0.013  |
| खण्डवा         | खण्डवा | ग्राम-<br>कवेश्वर,<br>प.ह.न 41  | 290/1           | 0.050  |
|                |        |                                 | 179/7           | 0.059  |
|                |        |                                 | 179/6           | 0.023  |
|                |        |                                 | 179/1           | 0.017  |
|                |        |                                 | 179/5           | 0.024  |
|                |        |                                 | 179/4           | 0.039  |
|                |        |                                 | 179/3           | 0.010  |
|                |        |                                 | 179/2           | 0.025  |
| <b>कुल योग</b> |        |                                 | <b>13</b>       | <b>0.456</b>   |

पत्र क्र. 2810-रीडर-1-2021 रा.प्र.क्र.-0092-बी-121-2021-22

**प्ररूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1744/रीडर-1/2021, खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- नहाल्दा, प.ह.न 59, रा.नि.मं.- 04, खण्डवा-1, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

| जिला   | तहसील  | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक   | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|--------|--------|--------------------------------|--------------|---|
| 1      | 2      | 3                              | 4            | 5   |
| खण्डवा | खण्डवा | ग्राम-<br>नहाल्दा,<br>प.ह.न 59 | 294/2        | 0.026   |
|        |        |                                | 486          | 0.058   |
|        |        |                                | 490          | 0.050   |
|        |        |                                | 492          | 0.017   |
|        |        |                                | 491/1        | 0.051   |

| जिला   | तहसील  | ग्राम / पटवारी<br>हल्का क्रमांक | खसरा<br>क्रमांक | उपयोग के अधिकार<br>के लिये अर्जित की<br>जाने वाली भूमि<br>(हेक्टेयर में) |
|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--|
| 1      | 2      | 3                               | 4               | 5  |
| खण्डवा | खण्डवा | ग्राम-<br>नहाल्दा,<br>प.ह.न 59  | 491/2           | 0.028  |
|        |        |                                 | 517             | 0.007  |
|        |        |                                 | 514             | 0.046  |
|        |        |                                 | 513             | 0.012  |
|        |        |                                 | 412             | 0.003  |
|        |        |                                 | 556/1           | 0.043  |
|        |        |                                 | 547             | 0.057  |
|        |        |                                 | 555/2           | 0.028  |
|        |        |                                 | 554/1           | 0.043  |
|        |        |                                 | 554/2           | 0.021  |
|        |        |                                 | 562/1/1         | 0.027  |
|        |        |                                 | 562/2           | 0.025  |
|        |        |                                 | 562/1/2         | 0.033  |
|        |        |                                 | 584/1/1         | 0.028  |
|        |        |                                 | 584/2           | 0.018  |
|        |        |                                 | 591             | 0.010  |
|        |        |                                 | 592             | 0.080  |
|        |        |                                 | 590             | 0.041  |
|        |        |                                 | 605             | 0.046  |
|        |        |                                 | कुल योग         |  |

पत्र क्र. 2812-रीडर-1-2021 रा.प्र.क्र.-0093-बी-121-2021-22

**प्ररूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1750/रीडर-1/2021, खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-95 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रुधी, प.ह.न 90, रा.नि.मं.- 04, खण्डवा-1, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

| जिला           | तहसील  | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|----------------|--------|------------------------------|--------------|---|
| 1              | 2      | 3                            | 4            | 5   |
| खण्डवा         | खण्डवा | ग्राम- रुधी,<br>प.ह.न 90     | 196          | 0.054   |
|                |        |                              | 148          | 0.022   |
|                |        |                              | 149          | 0.023   |
|                |        |                              | 150          | 0.027   |
|                |        |                              | 152          | 0.006   |
| खण्डवा         | खण्डवा | ग्राम- रुधी,<br>प.ह.न 90     | 141/2        | 0.063   |
|                |        |                              | 140/2        | 0.004   |
|                |        |                              | 139/2        | 0.040   |
|                |        |                              | 137/2        | 0.010   |
|                |        |                              | 138/2        | 0.024   |
| <b>कुल योग</b> |        |                              | <b>10</b>    | <b>0.273</b>  |

पत्र क्र. 2814-रीडर-1-2021 रा.प्र.क्र.-0094-बी-121-2021-22

### प्ररूप- "घ" { नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1752/रीडर-1/2021, खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 30 व 101 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सांवखेड़ा, प.ह.न 67, रा.नि.मं.-

**04, खण्डवा-1, तहसील एवं जिला- खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

#### :: अनुसूची ::

| जिला   | तहसील  | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|--------|--------|------------------------------|--------------|---|
| 1      | 2      | 3                            | 4            | 5   |
| खण्डवा | खण्डवा | ग्राम- सांवखेड़ा, प.ह.न 67   | 806          | 0.057   |
|        |        |                              | 740          | 0.056   |
|        |        |                              | 742          | 0.045   |
|        |        |                              | 743          | 0.040   |
|        |        |                              | 753          | 0.085   |

| जिला   | तहसील  | ग्राम / पटवारी<br>हल्का क्रमांक  | खसरा<br>क्रमांक | उपयोग के अधिकार<br>के लिये अर्जित की<br>जाने वाली भूमि<br>(हेक्टेयर में) |
|--------|--------|----------------------------------|-----------------|--|
| 1      | 2      | 3                                | 4               | 5  |
| खण्डवा | खण्डवा | ग्राम—<br>सांवखेड़ा,<br>प.ह.न 67 | 754/2           | 0.047  |
|        |        |                                  | 754/1           | 0.036  |
|        |        |                                  | 777             | 0.041  |
|        |        |                                  | 778             | 0.042  |
|        |        |                                  | 779             | 0.044  |
|        |        |                                  | 780             | 0.041  |
|        |        |                                  | 781             | 0.044  |
|        |        |                                  | 259             | 0.049  |
|        |        |                                  | 257             | 0.014  |
|        |        |                                  | 256             | 0.028  |
|        |        |                                  | 255             | 0.070  |
|        |        |                                  | 216/1           | 0.041  |
|        |        |                                  | 216/2           | 0.046  |
|        |        |                                  | कुल योग         |  |

पत्र क्र. 2816-रीडर-1-2021 रा.प्र.क्र.-0095-बी-121-2021-22

**प्ररूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1754/रीडर-1/2021, खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 23 एवं 64 में जल परिवहन हेतु ग्राम- भकराड़ा, प.ह.न 53, रा.नि.मं.- 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

| जिला   | तहसील  | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक   | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|--------|--------|--------------------------------|--------------|---|
| 1      | 2      | 3                              | 4            | 5   |
| खण्डवा | खण्डवा | ग्राम-<br>भकराड़ा,<br>प.ह.न 53 | 360          | 0.037   |
|        |        |                                | 356/1        | 0.036   |
|        |        |                                | 356/2        | 0.094   |
|        |        |                                | 340          | 0.030   |
|        |        |                                | 341          | 0.049   |

| जिला   | तहसील  | ग्राम / पटवारी<br>हल्का क्रमांक | खसरा<br>क्रमांक | उपयोग के अधिकार<br>के लिये अर्जित की<br>जाने वाली भूमि<br>(हेक्टेयर में) |
|--------|--------|---------------------------------|-----------------|--|
| 1      | 2      | 3                               | 4               | 5  |
| खण्डवा | खण्डवा | ग्राम—<br>भकराड़ा,<br>प.ह.न 53  | 342             | 0.031  |
|        |        |                                 | 343             | 0.027  |
|        |        |                                 | 334/1           | 0.029  |
|        |        |                                 | 334/3           | 0.029  |
|        |        |                                 | 334/4           | 0.056  |
|        |        |                                 | 524             | 0.036  |
|        |        |                                 | 526             | 0.043  |
|        |        |                                 | 575/1           | 0.049  |
|        |        |                                 | 575/2           | 0.025  |
|        |        |                                 | 565/2           | 0.053  |
|        |        |                                 | 565/1           | 0.015  |
|        |        |                                 | 564             | 0.023  |
|        |        |                                 | 563             | 0.007  |
|        |        |                                 | 562             | 0.007  |
|        |        |                                 | 561             | 0.007  |
|        |        |                                 | 558/1           | 0.017  |
|        |        |                                 | 557             | 0.021  |
|        |        |                                 | 533/1           | 0.050  |
|        |        |                                 | 533/2           | 0.055  |
| 733/1  | 0.050  |                                 |                 |  |
| 733/2  | 0.049  |                                 |                 |  |

| जिला    | तहसील  | ग्राम / पटवारी<br>हल्का क्रमांक | खसरा<br>क्रमांक | उपयोग के अधिकार<br>के लिये अर्जित की<br>जाने वाली भूमि<br>(हेक्टेयर में) |
|---------|--------|---------------------------------|-----------------|--|
| 1       | 2      | 3                               | 4               | 5  |
| खण्डवा  | खण्डवा | ग्राम—<br>भकराड़ा,<br>प.ह.न 53  | 737/3           | 0.020  |
|         |        |                                 | 738             | 0.011  |
|         |        |                                 | 739             | 0.020  |
|         |        |                                 | 742             | 0.006  |
|         |        |                                 | 741             | 0.004  |
|         |        |                                 | 740             | 0.023  |
|         |        |                                 | 745             | 0.018  |
|         |        |                                 | 746/2           | 0.013  |
|         |        |                                 | 750             | 0.039  |
| कुल योग |        |                                 | 35              | 1.079  |

पत्र क्र. 2818-रीडर-1-2021 रा.प्र.क्र.-0096-बी-121-2021-22

**प्ररूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1756/रीडर-1/2021, खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 18 में जल परिवहन हेतु **ग्राम- बिजोरा भील, प.ह.न 50, रा.नि.मं.- 04, खण्डवा-1, तहसील एवं जिला- खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

| जिला   | तहसील  | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|--------|--------|------------------------------|--------------|---|
| 1      | 2      | 3                            | 4            | 5   |
| खण्डवा | खण्डवा | ग्राम- बिजोरा भील, प.ह.न 50  | 355/2        | 0.024   |
|        |        |                              | 355/1        | 0.035   |
|        |        |                              | 353/8        | 0.021   |
|        |        |                              | 353/7        | 0.022   |
|        |        |                              | 353/6        | 0.023   |

| जिला    | तहसील  | ग्राम / पटवारी<br>हल्का कर्मांक   | खसरा<br>कर्मांक | उपयोग के अधिकार<br>के लिये अर्जित की<br>जाने वाली भूमि<br>(हेक्टेयर में) |
|---------|--------|-----------------------------------|-----------------|--|
| 1       | 2      | 3                                 | 4               | 5  |
| खण्डवा  | खण्डवा | ग्राम- बिजोरा<br>भील,<br>प.ह.न 50 | 353/5           | 0.018  |
|         |        |                                   | 353/4/1         | 0.011  |
|         |        |                                   | 353/4/2         | 0.012  |
|         |        |                                   | 353/3           | 0.022  |
|         |        |                                   | 353/2           | 0.016  |
|         |        |                                   | 395/1/1         | 0.022  |
|         |        |                                   | 395/1/2         | 0.020  |
|         |        |                                   | 394             | 0.024  |
|         |        |                                   | 393             | 0.023  |
|         |        |                                   | 390/1           | 0.012  |
|         |        |                                   | 392/1           | 0.006  |
|         |        |                                   | 466             | 0.078  |
|         |        |                                   | 465             | 0.006  |
|         |        |                                   | 467             | 0.041  |
|         |        |                                   | 509/2           | 0.042  |
|         |        |                                   | 509/1           | 0.007  |
|         |        |                                   | 510/1           | 0.034  |
|         |        |                                   | 588/3           | 0.036  |
|         |        |                                   | 588/1           | 0.022  |
|         |        |                                   | 588/2           | 0.019  |
|         |        |                                   | 587/1           | 0.008  |
|         |        |                                   | 587/2           | 0.008  |
|         |        |                                   | 587/3           | 0.008  |
|         |        |                                   | 587/4           | 0.008  |
|         |        |                                   | 587/5           | 0.008  |
|         |        |                                   | 586/3           | 0.017  |
|         |        |                                   | 586/2           | 0.011  |
|         |        |                                   | 586/1           | 0.008  |
|         |        |                                   | 582/2           | 0.005  |
|         |        |                                   | 602/1           | 0.015  |
|         |        |                                   | 602/2           | 0.028  |
|         |        |                                   | 602/3           | 0.013  |
| 603/1   | 0.030  |                                   |                 |  |
| 603/2   | 0.016  |                                   |                 |  |
| 604/2   | 0.076  |                                   |                 |  |
| 604/1   | 0.041  |                                   |                 |  |
| खण्डवा  | खण्डवा | ग्राम- बिजोरा<br>भील,<br>प.ह.न 50 | 572             | 0.021  |
|         |        |                                   | 571             | 0.016  |
|         |        |                                   | 570             | 0.026  |
|         |        |                                   | 569             | 0.014  |
|         |        |                                   | 568             | 0.011  |
| कुल योग |        |                                   | 46              | 0.984  |

पत्र क्र. 2820-रीडर-1-2021 रा.प्र.क्र.-0097-बी-121-2021-22

**प्ररूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1758/रीडर-1/2021, खण्डवा, दिनांक 07/06/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपल्या तहार, प.ह.न 72, रा.नि.मं.- 04, खण्डवा-1, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.07.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

| जिला   | तहसील  | ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक  | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|--------|--------|-------------------------------|--------------|---|
| 1      | 2      | 3                             | 4            | 5   |
| खण्डवा | खण्डवा | ग्राम- पिपल्या तहार, प.ह.न 72 | 358/1        | 0.002   |
|        |        |                               | 357/2        | 0.010   |
|        |        |                               | 362          | 0.004   |
|        |        |                               | 363          | 0.004   |
|        |        |                               | 364          | 0.006   |

| जिला   | तहसील  | ग्राम / पटवारी<br>हल्का क्रमांक     | खसरा<br>क्रमांक | उपयोग के अधिकार<br>के लिये अर्जित की<br>जाने वाली भूमि<br>(हेक्टेयर में) |
|--------|--------|-------------------------------------|-----------------|--|
| 1      | 2      | 3                                   | 4               | 5  |
| खण्डवा | खण्डवा | ग्राम- पिपल्या<br>तहार,<br>प.ह.न 72 | 366             | 0.006  |
|        |        |                                     | 367             | 0.008  |
|        |        |                                     | 368/1           | 0.005  |
|        |        |                                     | 368/2           | 0.004  |
|        |        |                                     | 369             | 0.009  |
|        |        |                                     | 423             | 0.008  |
|        |        |                                     | 375/2           | 0.008  |
|        |        |                                     | 376             | 0.008  |
|        |        |                                     | 388             | 0.007  |
|        |        |                                     | 394/1           | 0.009  |
|        |        |                                     | 402/1           | 0.009  |
|        |        |                                     | 407             | 0.020  |
|        |        |                                     | 414             | 0.033  |
|        |        |                                     | 422             | 0.012  |
|        |        |                                     | 430/2           | 0.014  |
|        |        |                                     | 432/2           | 0.008  |
|        |        |                                     | 433             | 0.024  |
|        |        |                                     | 434/2           | 0.020  |
| 466    | 0.018  |                                     |                 |  |
| 235/1  | 0.035  |                                     |                 |  |
| 259    | 0.012  |                                     |                 |  |

| जिला           | तहसील  | ग्राम / पटवारी<br>हल्का क्रमांक     | खसरा<br>क्रमांक | उपयोग के अधिकार<br>के लिये अर्जित की<br>जाने वाली भूमि<br>(हेक्टेयर में) |
|----------------|--------|-------------------------------------|-----------------|--|
| 1              | 2      | 3                                   | 4               | 5  |
| खण्डवा         | खण्डवा | ग्राम— पिपल्या<br>तहार,<br>प.ह.न 72 | 219             | 0.018  |
|                |        |                                     | 221             | 0.048  |
|                |        |                                     | 222             | 0.018  |
|                |        |                                     | 213             | 0.016  |
|                |        |                                     | 211             | 0.026  |
|                |        |                                     | 212             | 0.021  |
|                |        |                                     | 209/2           | 0.028  |
|                |        |                                     | 209/3           | 0.014  |
|                |        |                                     | 209/4           | 0.018  |
|                |        |                                     | 209/5           | 0.034  |
|                |        |                                     | 208/2           | 0.042  |
|                |        |                                     | 207/1           | 0.056  |
|                |        |                                     | 684/1           | 0.026  |
|                |        |                                     | 684/2           | 0.044  |
|                |        |                                     | 683/4           | 0.012  |
|                |        |                                     | 682             | 0.070  |
|                |        |                                     | 681             | 0.008  |
| <b>कुल योग</b> |        |                                     | <b>43</b>       | <b>0.802</b>   |

प्रमोदकुमार पाण्डे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील कुक्षी, जिला धार, मध्यप्रदेश

कुक्षी, दिनांक 21 अक्टूबर 2021

प्ररूप—“ख”

[नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3487-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-14-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 (ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार) से पम्प हाउस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, रा.नि.मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

### अनुसूची

| जिला | तहसील  | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक  | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|--------|-----------------------------|--------------|---|
| (1)  | (2)    | (3)                         | (4)          | (5)   |
| धार  | कुक्षी | ग्राम-चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, | 86/33/4      | 0.023   |
|      |        |                             | 86/33/1      | 0.026   |
|      |        |                             | 86/18/2      | 0.009   |
|      |        |                             | 88/4         | 0.021   |
|      |        |                             | 91/3         | 0.044   |
|      |        |                             | 91/2         | 0.015   |
|      |        |                             | 91/1         | 0.013   |
|      |        |                             | 94/1 & 94/2  | 0.025   |
|      |        |                             | 61/1/2       | 0.073   |
|      |        |                             | 60/1/2/3     | 0.072   |
|      |        |                             | 60/2/2/3     | 0.01  |

| (1) | (2) | (3)       | (4)      | (5)   |
|-----|-----|-----------|----------|-------|
|     |     |           | 60/2/2/2 | 0.007 |
|     |     |           | 52/1/1/3 | 0.013 |
|     |     |           | 52/1/1/2 | 0.01  |
|     |     |           | 52/1/1/1 | 0.014 |
|     |     |           | 53/2/1   | 0.029 |
|     |     |           | 53/4     | 0.029 |
|     |     |           | 53/1/1   | 0.038 |
|     |     |           | 53/1/2   | 0.033 |
|     |     |           | 53/1/3   | 0.033 |
|     |     |           | 43/4/1/2 | 0.095 |
|     |     | कुल योग . | .21      | 0.632 |

प्ररूप—“ख”

[नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3479-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-15-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 (ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाउस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम जुगतलाई, प.ह.न. 26, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुशी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|-------|----------------------------|--------------|---|
| (1)  | (2)   | (3)                        | (4)          | (5)   |
| धार  | कुशी  | ग्राम-जुगतलाई, प.ह.न. 26   | 591          | 0.014   |
|      |       |                            | 590          | 0.009   |
|      |       |                            | 581          | 0.007   |
|      |       |                            | 579          | 0.018   |

| (1) | (2) | (3) | (4)                  | (5)          |
|-----|-----|-----|----------------------|--------------|
|     |     |     | 556                  | 0.020        |
|     |     |     | 578                  | 0.023        |
|     |     |     | 558                  | 0.042        |
|     |     |     | 559                  | 0.074        |
|     |     |     | 560                  | 0.101        |
|     |     |     | 460/2                | 0.095        |
|     |     |     | 460/1                | 0.009        |
|     |     |     | 445/3                | 0.026        |
|     |     |     | 445/2                | 0.033        |
|     |     |     | 445/1/2              | 0.036        |
|     |     |     | 317/3                | 0.023        |
|     |     |     | 317/2                | 0.032        |
|     |     |     | <b>कुल योग . .16</b> | <b>0.562</b> |

प्ररूप—“ख”

[नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3473-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-16-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 (ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाउस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-चीलवा, प.ह.न. 31/77, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुशी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक         | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|-------|----------------------------|----------------------|---|
| (1)  | (2)   | (3)                        | (4)                  | (5)   |
| धार  | कुशी  | ग्राम-चीलवा, प.ह.न. 31/77  | 9                    | 0.032   |
|      |       |                            | 7                    | 0.021   |
|      |       |                            | 10                   | 0.047   |
|      |       |                            | <b>कुल योग . .03</b> | <b>0.100</b>  |

## प्ररूप—“ख”

## [नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3467-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-17-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 (ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाउस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-कवडीयाखेड़ा, प.ह.न.32/76, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुशी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

## अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक      | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|-------|---------------------------------|--------------|---|
| (1)  | (2)   | (3)                             | (4)          | (5)   |
| धार  | कुशी  | ग्राम-कवडीयाखेड़ा, प.ह.न. 32/76 | 419          | 0.120   |
|      |       |                                 | 418          | 0.016   |
|      |       |                                 | 431/1        | 0.085   |
|      |       |                                 | 432          | 0.117   |
|      |       |                                 | 433/1        | 0.031   |
|      |       |                                 | 433/2        | 0.031   |
|      |       |                                 | 434          | 0.159   |
|      |       |                                 | 407/1/1/1    | 0.065   |
|      |       |                                 | 407/1/1/2    | 0.033   |
|      |       |                                 | 438/2        | 0.063   |
|      |       |                                 | 438/1/3/2    | 0.010   |
|      |       |                                 | 4381//3/1    | 0.010   |
|      |       |                                 | 438/1/2      | 0.014   |
|      |       |                                 | 438/1/1      | 0.027   |
|      |       |                                 | 440/1        | 0.033   |
|      |       |                                 | 443/2        | 0.111   |
|      |       |                                 | 443/1        | 0.098   |
|      |       |                                 | 446          | 0.114   |

| (1) | (2) | (3) | (4)           | (5)   |
|-----|-----|-----|---------------|-------|
|     |     |     | 447           | 0.040 |
|     |     |     | 348           | 0.086 |
|     |     |     | 198/6         | 0.018 |
|     |     |     | 198/5         | 0.009 |
|     |     |     | 198/4         | 0.016 |
|     |     |     | 198/3         | 0.014 |
|     |     |     | 198/1/2       | 0.024 |
|     |     |     | 198/2         | 0.005 |
|     |     |     | 203/4/2       | 0.010 |
|     |     |     | 203/4/1       | 0.010 |
|     |     |     | 203/3         | 0.023 |
|     |     |     | 205/4         | 0.008 |
|     |     |     | 205/3         | 0.013 |
|     |     |     | 205/2         | 0.017 |
|     |     |     | 182/5/1       | 0.017 |
|     |     |     | 182/5/2       | 0.042 |
|     |     |     | 182/1         | 0.015 |
|     |     |     | 180/6         | 0.017 |
|     |     |     | 180/5         | 0.016 |
|     |     |     | 180/4         | 0.033 |
|     |     |     | 179           | 0.003 |
|     |     |     | 176/1/1/4     | 0.083 |
|     |     |     | 176/6         | 0.005 |
|     |     |     | 176/5         | 0.006 |
|     |     |     | 176/4         | 0.008 |
|     |     |     | 176/2         | 0.005 |
|     |     |     | 174/2         | 0.005 |
|     |     |     | 174/1/3       | 0.015 |
|     |     |     | 174/1/2       | 0.012 |
|     |     |     | 170/1         | 0.060 |
|     |     |     | 124/1         | 0.042 |
|     |     |     | 123           | 0.138 |
|     |     |     | कुल योग . .50 | 1.952 |

प्ररूप—“ख”

[नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3045-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-18-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 (ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार) से पम्प हाउस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार) एवं पम्प हाउस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.मं.-कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-खंडलाई, प.ह.न.27, रा.नि.मं.-कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुशी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

### अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक  | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|-------|----------------------------|---------------|---|
| (1)  | (2)   | (3)                        | (4)           | (5)   |
| धार  | कुशी  | ग्राम-खंडलाई, प.ह.न. 27    | 587           | 0.036   |
|      |       |                            | 584/3         | 0.092   |
|      |       |                            | 585/3         | 0.046   |
|      |       |                            | 584/2         | 0.039   |
|      |       |                            | 565/1         | 0.044   |
|      |       |                            | 565/2         | 0.036   |
|      |       |                            | 566 & 567     | 0.117   |
|      |       |                            | 569           | 0.07  |
|      |       |                            | 555/1         | 0.042   |
|      |       |                            | 531/1/2       | 0.046   |
|      |       |                            | 533/12/2      | 0.111   |
|      |       |                            | कुल योग . .11 | 0.679   |

### प्ररूप—“ख”

#### [नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3439-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-19-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 (ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाउस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-नवादपुरा, प.ह.न. 55, रा.नि.मं.-निसरपुर, तह. कुशी, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध

में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुशी, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

### अनुसूची

| जिला        | तहसील | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|-------------|-------|----------------------------|--------------|---|
| (1)         | (2)   | (3)                        | (4)          | (5)   |
| धार         | कुशी  | ग्राम-नवादपुरा, प.ह.न. 55  | 35/1         | 0.067   |
|             |       |                            | 37/1         | 0.075   |
|             |       |                            | 38/1/3       | 0.108   |
|             |       |                            | 41/2/1       | 0.038   |
|             |       |                            | 64/1/ख/1     | 0.004   |
|             |       |                            | 41/1/3       | 0.046   |
|             |       |                            | 41/1/2       | 0.039   |
|             |       |                            | 41/1/1       | 0.086   |
|             |       |                            | 17/3/2/क     | 0.160   |
|             |       |                            | 4/1/1/2      | 0.064   |
|             |       |                            | 4/1/1/1      | 0.040   |
|             |       |                            | 3/2          | 0.12  |
|             |       |                            | 5/3/1        | 0.094   |
|             |       |                            | 5/1          | 0.086   |
| कुल योग . . |       |                            | 14           | 1.027   |

### प्ररूप—“ख”

### [नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3433-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-20-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 (ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाउस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-कुशी, प.ह.न. 32, तह. कुशी, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुशी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

### अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम-पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|-------|----------------------------|--------------|---|
| (1)  | (2)   | (3)                        | (4)          | (5)   |
| धार  | कुशी  | ग्राम-कुशी, प.ह.न. 32      | 628/2        | 0.083   |
|      |       |                            | 629/1        | 0.122   |

| (1) | (2) | (3) | (4)     | (5)   |
|-----|-----|-----|---------|-------|
|     |     |     | 624     | 0.085 |
|     |     |     | 625     | 0.032 |
|     |     |     | 618     | 0.053 |
|     |     |     | 619     | 0.030 |
|     |     |     | 615/3   | 0.042 |
|     |     |     | 548     | 0.055 |
|     |     |     | 549/1   | 0.034 |
|     |     |     | 555/2   | 0.038 |
|     |     |     | 554/2   | 0.029 |
|     |     |     | 553/1/1 | 0.041 |
|     |     |     | 558/2   | 0.051 |
|     |     |     | 558/1   | 0.020 |
|     |     |     | 561/3   | 0.053 |
|     |     |     | 561/2   | 0.048 |
|     |     |     | 562/2   | 0.013 |
|     |     |     | 541/3   | 0.020 |
|     |     |     | 541/2   | 0.042 |
|     |     |     | 539/1   | 0.013 |
|     |     |     | 539/2   | 0.105 |
|     |     |     | 534     | 0.057 |
|     |     |     | 533     | 0.073 |
|     |     |     | 522     | 0.077 |
|     |     |     | 497/3   | 0.077 |
|     |     |     | 496     | 0.042 |
|     |     |     | 490     | 0.084 |
|     |     |     | 473/2   | 0.036 |
|     |     |     | 491     | 0.014 |
|     |     |     | 474/2/4 | 0.107 |
|     |     |     | 475/2/1 | 0.024 |
|     |     |     | 475/1   | 0.036 |
|     |     |     | 464/3   | 0.019 |
|     |     |     | 452/1   | 0.096 |
|     |     |     | 432     | 0.011 |
|     |     |     | 433/1   | 0.081 |
|     |     |     | 434/1   | 0.110 |
|     |     |     | 435/1/1 | 0.106 |
|     |     |     | 412/2   | 0.015 |
|     |     |     | 436/1/2 | 0.005 |
|     |     |     | 420/1   | 0.024 |
|     |     |     | 414/1   | 0.149 |
|     |     |     | 415/1   | 0.088 |

| (1) | (2)    | (3)                     | (4)   | (5)   |
|-----|--------|-------------------------|-------|-------|
| धार | कुक्षी | ग्राम-कुक्षी, प.ह.न. 32 | 417   | 0.113 |
|     |        |                         | 381/1 | 0.071 |
|     |        |                         | 421/1 | 0.012 |
|     |        |                         | 378   | 0.033 |
|     |        |                         | 377/2 | 0.010 |
|     |        |                         | 376/6 | 0.106 |
|     |        | कुल योग . .             | 49    | 2.685 |

प्ररूप—“ख”

[नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3389-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-21-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 (ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार) से पम्प हाउस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-कोणदा, प.ह.न. 54, रा.नि.मं.-निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील  | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|--------|----------------------------|--------------|---|
| (1)  | (2)    | (3)                        | (4)          | (5)   |
| धार  | कुक्षी | ग्राम-कोणदा, प.ह.न. 54     | 96/3         | 0.030   |
|      |        |                            | 109/6        | 0.075   |
|      |        |                            | 109/5        | 0.066   |
|      |        |                            | 109/4        | 0.064   |
|      |        |                            | 109/1/1      | 0.060   |
|      |        |                            | 90/5         | 0.142   |
|      |        |                            | 42/2         | 0.062   |
|      |        |                            | 84/1/1       | 0.123   |
|      |        |                            | 77/3/3       | 0.075   |
|      |        |                            | 77/3/2       | 0.024   |
|      |        |                            | 77/3/1       | 0.023   |
|      |        |                            | 77/4         | 0.101   |
|      |        |                            | 77/1/3       | 0.051   |

| (1) | (2)    | (3)                    | (4)    | (5)   |
|-----|--------|------------------------|--------|-------|
| धार | कुक्षी | ग्राम-कोणदा, प.ह.न. 54 | 77/1/2 | 0.041 |
|     |        |                        | 77/1/1 | 0.034 |
|     |        |                        | 74/3   | 0.242 |
|     |        |                        | 61/2   | 0.029 |
|     |        | कुल योग . .            | 17     | 1.242 |

## प्ररूप—“ख”

## [नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3395-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-22-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-2 (ग्राम खंडलाई, प. ह. न. 27, रा. नि. मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.मं.-कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-बोरकुई, प.ह.न. 13/31, रा.नि.मं.-01, बाग, तह. कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्रो, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

## अनुसूची

| जिला | तहसील  | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|--------|----------------------------|--------------|---|
| (1)  | (2)    | (3)                        | (4)          | (5)   |
| धार  | कुक्षी | ग्राम-बोरकुई, प.ह.न. 13/31 | 205/3        | 0.059   |
|      |        |                            | 141/7        | 0.036   |
|      |        |                            | 141/5        | 0.044   |
|      |        |                            | 143/3        | 0.077   |
|      |        |                            | 62           | 0.021   |
|      |        |                            | 68           | 0.104   |
|      |        |                            | 65           | 0.042   |
|      |        |                            | 67/4         | 0.027   |
|      |        |                            | 66           | 0.028   |
|      |        |                            | 67/2         | 0.025   |
|      |        |                            | 55/1/1       | 0.060   |
|      |        |                            | 54/4         | 0.003   |
|      |        |                            | 54/3         | 0.007   |
|      |        |                            | 54/2         | 0.006   |
|      |        |                            | 31/2         | 0.018   |
|      |        |                            | 30           | 0.034   |
|      |        | कुल योग . .                | 16           | 0.591   |

## प्ररूप—“ख”

## [नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3401-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-23-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-1 (ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी तह. कुशी जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-सुसारी, प.ह.न. 57, रा.नि.मं.-निसरपुर तह. कुशी जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुशी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

## अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|-------|----------------------------|--------------|---|
| (1)  | (2)   | (3)                        | (4)          | (5)   |
| धार  | कुशी  | ग्राम-सुसारी, प.ह.न. 57    | 262/1/2      | 0.059   |
|      |       |                            | 262/2        | 0.108   |
|      |       | कुल योग . .                | 02           | 0.167   |

## प्ररूप—“ख”

## [नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3407-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-24-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-1 (ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी तह. कुशी जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-भरडपुर, प.ह.न. 57/94, रा.नि.मं.-निसरपुर तह. कुशी जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध

में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुशी, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

### अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक  | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|-------|-----------------------------|--------------|---|
| (1)  | (2)   | (3)                         | (4)          | (5)   |
| धार  | कुशी  | ग्राम-भरड़पुर, प.ह.न. 57/94 | 173/2/3      | 0.130   |
|      |       |                             | 179          | 0.104   |
|      |       |                             | 178/2/1      | 0.059   |
|      |       |                             | 186/2        | 0.107   |
|      |       |                             | 186/3        | 0.019   |
|      |       |                             | 193/3        | 0.117   |
|      |       |                             | 204          | 0.029   |
|      |       |                             | 205/2        | 0.085   |
|      |       |                             | 208          | 0.013   |
|      |       |                             | 207          | 0.094   |
|      |       |                             | 211/1        | 0.065   |
|      |       |                             | 211/2, 211/3 | 0.068   |
|      |       |                             | 211/4        | 0.099   |
|      |       | कुल योग                     | 13           | 0.989   |

### प्ररूप—“ख”

#### [नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3413-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-25-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-1 (ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुशी तह. कुशी जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-बबुलशा, प.ह.न. 57, रा.नि.मं.-निसरपुर तह. कुशी जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारी का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुशी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

### अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|-------|----------------------------|--------------|---|
| (1)  | (2)   | (3)                        | (4)          | (5)   |
| धार  | कुशी  | ग्राम-बबुलशा, प.ह.न. 57    | 61/3/4/1     | 0.109   |
|      |       |                            | 61/4         | 0.132   |

| (1) | (2)    | (3)                     | (4)     | (5)   |
|-----|--------|-------------------------|---------|-------|
| धार | कुक्षी | ग्राम-बबुलशा, प.ह.न. 57 | 62/3    | 0.187 |
|     |        |                         | 66/2    | 0.014 |
|     |        |                         | 66/1    | 0.121 |
|     |        |                         | 67/1/1  | 0.32  |
|     |        |                         | 67/1/3  | 0.065 |
|     |        |                         | 160/2/1 | 0.062 |
|     |        |                         | 160/1   | 0.074 |
|     |        |                         | 157/1   | 0.083 |
|     |        |                         | 157/2   | 0.095 |
|     |        |                         | 157/3   | 0.018 |
|     |        |                         | 82      | 0.077 |
|     |        |                         | 84/2/1  | 0.204 |
|     |        |                         | 86/1/1  | 0.151 |
|     |        | कुल योग . .             | 15      | 1.712 |

प्ररूप—“ख”

### [नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3419-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-26-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-1 (ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-हेलादड़, प.ह.न. 56, रा.नि.मं.-निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

### अनुसूची

| जिला | तहसील  | ग्राम-पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|--------|----------------------------|--------------|---|
| (1)  | (2)    | (3)                        | (4)          | (5)   |
| धार  | कुक्षी | ग्राम-हेलादड़, प.ह.न. 56   | 385          | 0.124   |
|      |        |                            | 392          | 0.047   |
|      |        |                            | 395          | 0.077   |
|      |        |                            | 330          | 0.088   |
|      |        |                            | 331          | 0.055   |
|      |        |                            | 332          | 0.026   |

| (1) | (2)    | (3)                      | (4)     | (5)   |
|-----|--------|--------------------------|---------|-------|
| धार | कुक्षी | ग्राम-हेलादड़, प.ह.न. 56 | 136     | 0.02  |
|     |        |                          | 135     | 0.026 |
|     |        |                          | 134     | 0.051 |
|     |        |                          | 131     | 0.055 |
|     |        |                          | 86      | 0.055 |
|     |        |                          | 57 & 59 | 0.117 |
|     |        |                          | 50      | 0.031 |
|     |        |                          | 48      | 0.019 |
|     |        |                          | 49      | 0.062 |
|     |        | कुल योग . .              | 15      | 0.853 |

प्ररूप—“ख”

[नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3427-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-27-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-1 (ग्राम चंदनखेड़ी, प. ह. न. 55, रा. नि. मं. निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार) से पम्प हाउस क्रमांक-2 (ग्राम-खंडलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.-कुक्षी तह. कुक्षी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-अमलझुमा, प.ह.न. 56, रा.नि.मं.-निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

| जिला | तहसील  | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|--------|----------------------------|--------------|---|
| (1)  | (2)    | (3)                        | (4)          | (5)   |
| धार  | कुक्षी | ग्राम-अमलझुमा, प.ह.न. 56   | 167/13       | 0.044   |
|      |        |                            | 167/11       | 0.059   |
|      |        |                            | 167/14       | 0.034   |
|      |        |                            | 167/6        | 0.018   |
|      |        |                            | 167/15       | 0.027   |
|      |        | कुल योग . .                | 05           | 0.182   |

## प्ररूप—“ख”

## [नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3493-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-28-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-2 (ग्राम खंडलाई प. ह. न. 27, रा. नि. मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाउस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-कदवाल, प.ह.न. 16, रा.नि.मं.-बाग, तह. कुशी, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुशी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

## अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम-पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|-------|----------------------------|--------------|---|
| (1)  | (2)   | (3)                        | (4)          | (5)   |
| धार  | कुशी  | ग्राम/कदवाल, प.ह.न. 16     | 117/3, 117/4 | 0.055   |
|      |       |                            | 117/2        | 0.068   |
|      |       |                            | 108          | 0.029   |
|      |       |                            | 109          | 0.02  |
|      |       |                            | 105          | 0.052   |
|      |       |                            | 103/1        | 0.033   |
|      |       |                            | 93           | 0.044   |
|      |       |                            | 85/5         | 0.009   |
|      |       | कुल योग . .                | 08           | 0.310   |

## प्ररूप—“ख”

## [नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3517-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-29-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-2 (ग्राम खंडलाई प. ह. न. 27, रा. नि. मं. कुशी, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाउस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-घटबोरी,, प.ह.न. 09/23, रा.नि.मं.-बाग, तह. कुशी, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुशी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

### अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक       | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|-------|----------------------------|--------------------|---|
| (1)  | (2)   | (3)                        | (4)                | (5)   |
| धार  | कुशी  | ग्राम/घटबोरी, प.ह.न. 09/23 | 570/1              | 0.005   |
|      |       |                            | 566                | 0.049   |
|      |       |                            | 546/4              | 0.036   |
|      |       |                            | 546/3              | 0.060   |
|      |       |                            | 546/2, 546/17      | 0.070   |
|      |       |                            | 546/1              | 0.039   |
|      |       |                            | 545/20             | 0.025   |
|      |       |                            | 545/18             | 0.023   |
|      |       |                            | 543/5              | 0.040   |
|      |       |                            | 543/6              | 0.039   |
|      |       |                            | 543/3              | 0.046   |
|      |       |                            | 543/9              | 0.036   |
|      |       |                            | 531                | 0.063   |
|      |       |                            | 524/3              | 0.037   |
|      |       |                            | 527/4              | 0.019   |
|      |       |                            | 523                | 0.003   |
|      |       |                            | 524/4              | 0.030   |
|      |       |                            | 524/2              | 0.019   |
|      |       |                            | 521/3              | 0.010   |
|      |       |                            | 521/4              | 0.016   |
|      |       |                            | 519/2              | 0.023   |
|      |       |                            | 518/1              | 0.026   |
|      |       |                            | 519/1              | 0.012   |
|      |       |                            | 511/1              | 0.040   |
|      |       |                            | 511/2              | 0.089   |
|      |       |                            | 512/1              | 0.018   |
|      |       |                            | 512/2              | 0.035   |
|      |       |                            | 510/1              | 0.047   |
|      |       |                            | <b>कुल योग . .</b> | <b>28</b>   |
|      |       |                            |                    | <b>0.955</b>  |

**प्ररूप—“ख”**  
[नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3511-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-30-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक 2 (ग्राम खंडलाई, प. ह. न. 27, रा. नि. मं. कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.मं.-कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-नीमखेड़ा, प.ह.न. 15, रा.नि.मं.-बाग तह. कुक्षी जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

**अनुसूची**

| जिला        | तहसील  | ग्राम-पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक             | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|-------------|--------|----------------------------|--------------------------|---|
| (1)         | (2)    | (3)                        | (4)                      | (5)   |
| धार         | कुक्षी | ग्राम-नीमखेड़ा, प.ह.न. 15  | 8, 11, 12/2<br>10/1<br>4 | 0.034<br>0.038<br>0.072   |
| कुल योग . . |        |                            | 03                       | 0.144   |

**प्ररूप—“ख”**  
[नियम-5 का उपनियम (2)]

प. क्र. 3505-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-31-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम खंडलाई, प. ह. न. 27, रा. नि. मं.-कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.मं.-कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-चिज्बा, प.ह.न. 09, रा.नि.मं.-बाग तह. कुक्षी जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुशी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

### अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|-------|----------------------------|--------------|---|
| (1)  | (2)   | (3)                        | (4)          | (5)   |
| धार  | कुशी  | ग्राम-चिज्बा, प.ह.न. 09    | 449/2        | 0.081   |
|      |       | कुल योग . .                | 01           | 0.081   |

### प्ररूप—“ख”

#### [नियम-5 का उपनियम (2)]

प. क्र. 3524-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-32-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम खंडलाई, प. ह. न. 27, रा. नि. मं. कुशी, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-घुमिया, प.ह.न. 09, रा.नि.मं.-बाग तह. कुशी जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुशी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

### अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम-पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|-------|----------------------------|--------------|---|
| (1)  | (2)   | (3)                        | (4)          | (5)   |
| धार  | कुशी  | ग्राम-घुमिया, प.ह.न. 09    | 160          | 0.105   |
|      |       | कुल योग . .                | 01           | 0.105   |

**प्ररूप—“ख”**  
**[नियम-5 का उपनियम (2)]**

पत्र क्र. 3530-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-33-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक-2 (ग्राम खंडलाई, प. ह. न. 27, रा. नि. मं. कुशी, तह. कुशी, जिला धार) से पम्प हाउस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.मं.-कुशी, तह. कुशी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-बाणदा, प.ह.न. 09, रा.नि.मं.-बाग, तह. कुशी, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुशी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

**अनुसूची**

| जिला | तहसील | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक       | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|-------|----------------------------|--------------------|---|
| (1)  | (2)   | (3)                        | (4)                | (5)   |
| धार  | कुशी  | ग्राम-बाणदा, प.ह.न. 09     | 315/3              | 0.035   |
|      |       |                            | 315/2              | 0.023   |
|      |       |                            | 315/1              | 0.020   |
|      |       |                            | 418/1              | 0.020   |
|      |       |                            | 417/2              | 0.020   |
|      |       |                            | 410/1              | 0.066   |
|      |       |                            | 425                | 0.042   |
|      |       |                            | 405/1              | 0.044   |
|      |       |                            | 406, 407           | 0.07  |
|      |       |                            | 402                | 0.008   |
|      |       |                            | 350                | 0.048   |
|      |       |                            | 351                | 0.014   |
|      |       |                            | 353/2              | 0.013   |
|      |       |                            | 352                | 0.047   |
|      |       |                            | 356                | 0.032   |
|      |       |                            | 357                | 0.061   |
|      |       |                            | 380/1, 380/2       | 0.013   |
|      |       |                            | 378/1/5            | 0.047   |
|      |       |                            | 378/1/4            | 0.04  |
|      |       |                            | 377/1              | 0.052   |
|      |       |                            | 365/441            | 0.064   |
|      |       |                            | 365/2              | 0.057   |
|      |       |                            | 368/4              | 0.051   |
|      |       |                            | 370                | 0.049   |
|      |       |                            | <b>कुल योग . .</b> | <b>24</b>   |
|      |       |                            |                    | <b>0.936</b>  |

**प्ररूप—“ख”**  
[नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 3499-री-1-2021-रा.प्र.क्र.-34-अ-82-2021-22.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम खंडलाई, प. ह. न. 27, रा. नि. मं.-कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार) से पम्प हाऊस क्रमांक-3 (ग्राम-कांटी, रा.नि.मं.-कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-बेकल्या, प.ह.न. 15, रा.नि.मं.-बाग तह. कुक्षी जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्रो, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

**अनुसूची**

| जिला | तहसील  | ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक       | उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) |
|------|--------|----------------------------|--------------------|---|
| (1)  | (2)    | (3)                        | (4)                | (5)   |
| धार  | कुक्षी | ग्राम-बेकल्या, प.ह.न. 15   | 263/3, & 135/3     | 0.072   |
|      |        |                            | 135/2/2            | 0.025   |
|      |        |                            | 136/1              | 0.055   |
|      |        |                            | 137/3/3            | 0.046   |
|      |        |                            | 131/1              | 0.047   |
|      |        |                            | 128/2/2            | 0.061   |
|      |        |                            | 124/1/1            | 0.070   |
|      |        |                            | 124                | 0.028   |
|      |        |                            | 87/1               | 0.009   |
|      |        |                            | 89                 | 0.072   |
|      |        |                            | 75/2/1             | 0.066   |
|      |        |                            | 94                 | 0.035   |
|      |        |                            | 96                 | 0.014   |
|      |        |                            | 55/1               | 0.037   |
|      |        |                            | 54                 | 0.028   |
|      |        |                            | 58/1               | 0.023   |
|      |        |                            | 58/2               | 0.040   |
|      |        |                            | 59/2               | 0.007   |
|      |        |                            | 23/3               | 0.010   |
|      |        |                            | 23/1/3             | 0.053   |
|      |        |                            | 13                 | 0.020   |
|      |        |                            | <b>कुल योग . .</b> | <b>21</b>   |
|      |        |                            |                    | <b>0.818</b>  |

पवार नवजीवन विजय, अनुविभागीय अधिकारी (रा).